उत्तराखण्ड शासन

सड़क सुरक्षा : एक परिदृश्य

2022

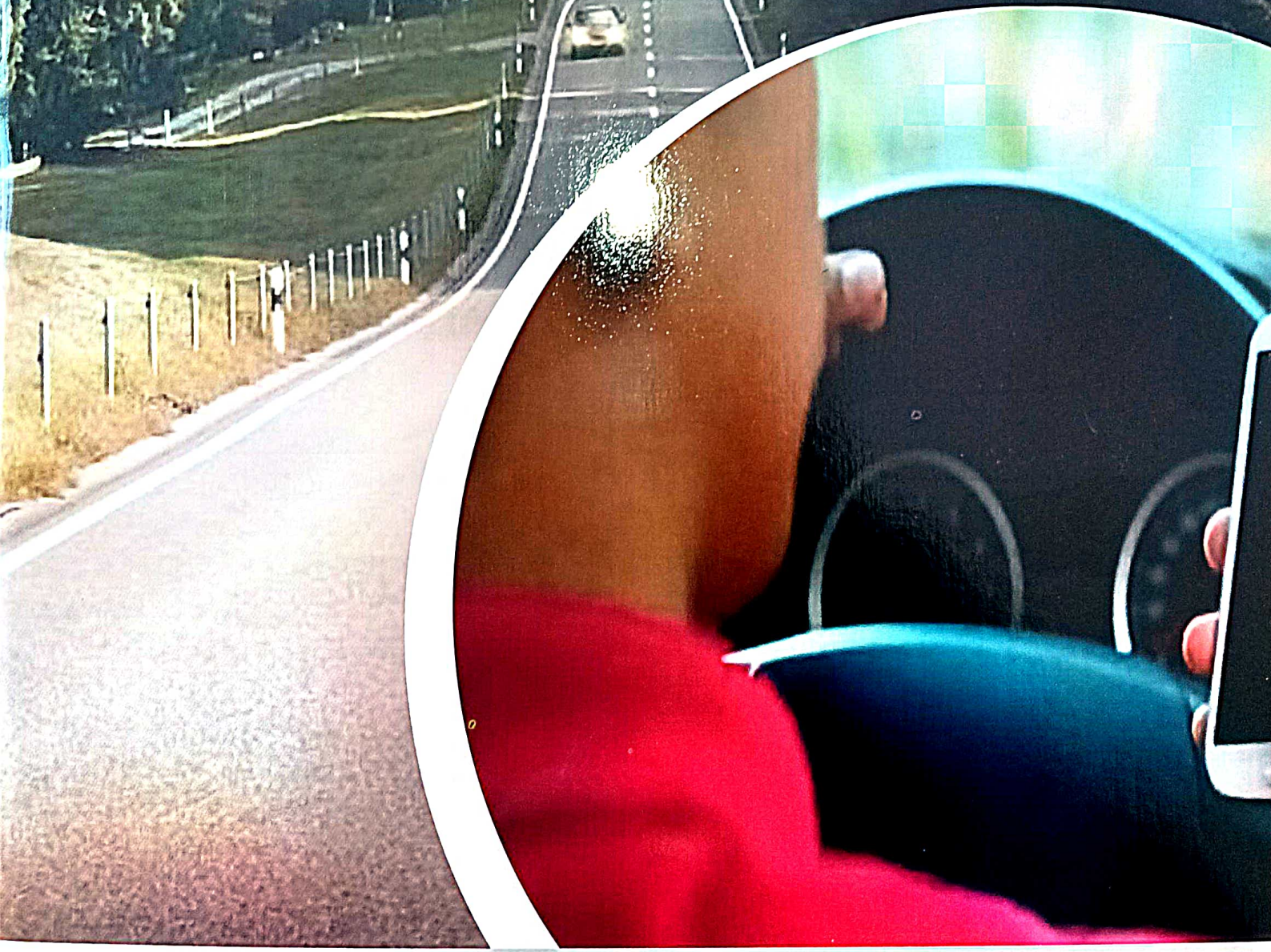

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

सड़क सुरक्षा : एक परिदृश्य

2022

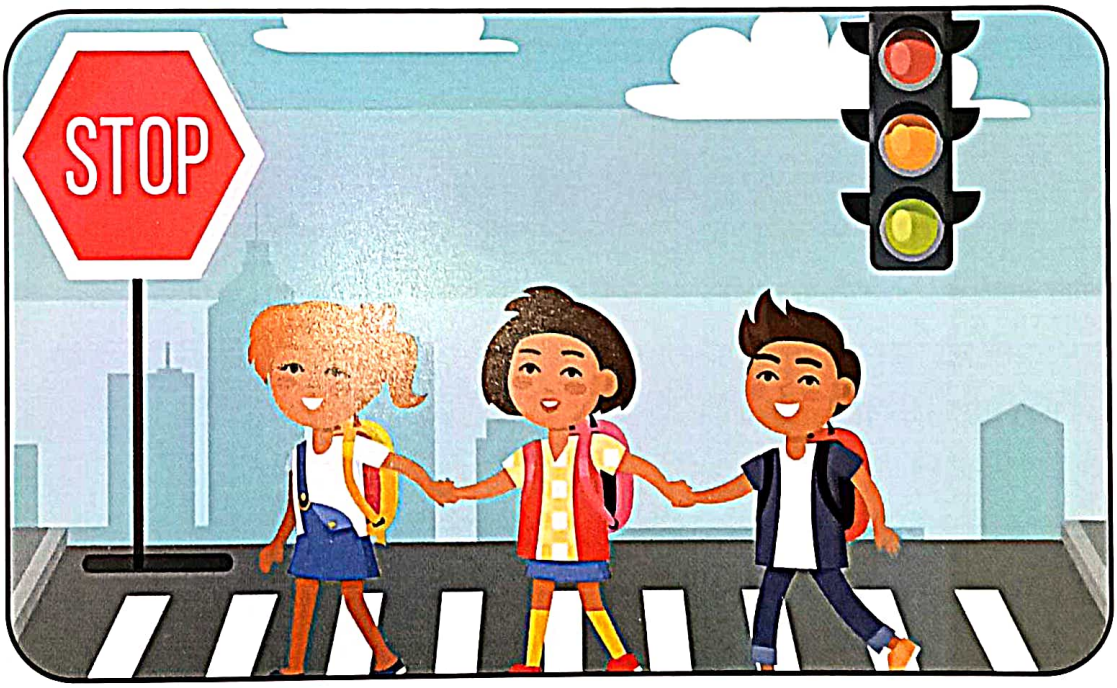

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

website: transport.uk.gov.in

पुष्कर सिंह धामी

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून -248001
फोन : 0135-2650433
0135-2716262
फैक्स : 0135-2712827

कैम्प कार्यालय
फोन : 0135-2750033
0135-2750344
फैक्स : 0135-2752144

संदेश...

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के आकड़ों को संकलित करते हुए ''सड़क सुरक्षा : एक परिदृश्य 2022'' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा मानव जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी अनदेखी अमूल्य जीवन पर भारी पड़ सकती है। उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है जहां किसी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर जनहानि मैदानों की तुलना में अधिक होती है। अत: राज्य में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

''सड़क सुरक्षा एक परिदृश्य 2022'' पुस्तिका सड़क सुरक्षा के कार्य में लगे विभागों को और अधिक संवेदनशील बनाते हुए आकड़ों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने में सहायक होगी। इन सड़क दुर्घटनाओं को न्यून करने हेतु विभिन्न सहयोगी विभाग तथा जनसामान्य के समेकित प्रयासों द्वारा ही दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।

मुझे आशा है कि परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक दुर्घटना के आंकड़ों का विश्लेषण कर दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित सड़क यातायात के लिए एक कारगर रणनीति बनाने में सहयोगी सिद्ध होगी।

हार्दिक शुभकामनाएं

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

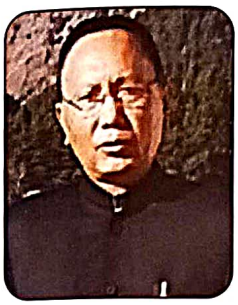

संदेश...

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2018 से दुर्घटनाओं के आकड़ों का प्रकाशन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2022 के आकड़ें संकलित किये गये है। सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि होना अत्यन्त दुखद विषय है। जनसामान्य का यह दायित्व है कि वह सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें तथा जहां तक सम्भव हो अपने आस-पास के व्यक्तियों को भी सड़क सुरक्षा नियमों एवं उपायों हेतु प्रेरित करें।

राज्य में वर्ष 2022 में कुल 1674 सड़क दुर्घटनायें हुई, जिनमें 1042 व्यक्तियों की मृत्यु और 1613 व्यक्ति घायल हुए हैं। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। ''सड़क सुरक्षा: एक परिदृश्य 2022'' आम जन के मध्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ विभिन्न हितधारक विभागों द्वारा किये जा रहे प्रयासों से भी अवगत करायेगी। मैं आशा करता हूँ कि ''सड़क सुरक्षा: एक परिदृश्य 2022'' पुस्तिका का प्रकाशन सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त शिक्षण संस्थाओं, शोधकर्ताओं के साथ ही विद्यार्थियों और आमजन को नियम पालन हेतु प्रेरित करेगी।

अरविन्द सिंह ह्यॉकी
सचिव एवं आयुक्त, परिवहन
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन

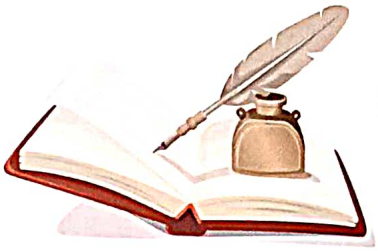

सम्पादकीय

सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि होना अत्यन्त दुखद विषय है। उत्तराखण्ड राज्य का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के फलस्वरूप किसी दुर्घटना होने की स्थिति में जनहानि भी मैदानी मार्गों की तुलना में अधिक होती है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) द्वारा विभिन्न राज्यों में सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सतत दृष्टि रखी जाती है और समय-समय पर सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये जाते हैं। समिति द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही राज्य में परिवहन विभाग के अन्तर्गत 'लीड एजेन्सी' का गठन किया गया, जिसमें परिवहन विभाग के अतिरिक्त पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर दुर्घटना की रोकथाम हेतु मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में 'राज्य सड़क सुरक्षा परिषद' गठित की गयी है, जबकि उच्च स्तरीय अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में 'अनुश्रवण समिति' का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त जनपदों में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 'जिला सड़क सुरक्षा समिति' का गठन किया गया है।

राज्य सरकार दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। राज्य में वर्ष 2022 में 1674 सड़क दुर्घटनायें विभिन्न कारणों से घटित हुई जिनकी रोकथाम हेतु विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। ''सड़क सुरक्षा परिदृश्य 2022" उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं एवं सड़क सुरक्षा सम्बन्धी संकलित आकड़ों को आम जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य करेगी। इस पुस्तक में देश एवं प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं का 5 विवरण, वाहन की श्रेणी, मार्ग की श्रेणी, दुर्घटना का समय, वाहन की आयु सीमा, चालक की आयु, वाहन के टक्कर का प्रकार आदि के आधार पर सूचनाओं का संकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त पुस्तक में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की दशा सुधारने यथा-ब्लैक स्पॉट, दुर्घटना संभावित

स्थलों में सुधारीकरण की कार्यवाही के अतिरिक्त क्रैश बैरियर, रोड मार्किंग, ट्रैफिक कामिंग उपाय आदि के क्रियान्वयन की भी जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।

मुझे आशा है कि प्रस्तुत पुस्तिका सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर आम जनमानस में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने में सहयोगी होगी।

सनत कुमार सिंह,
संयुक्त परिवहन आयुक्त/
अध्यक्ष, लीड एजेन्सी

उत्तराखण्ड शासन

सड़क सुरक्षा शपथ

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा

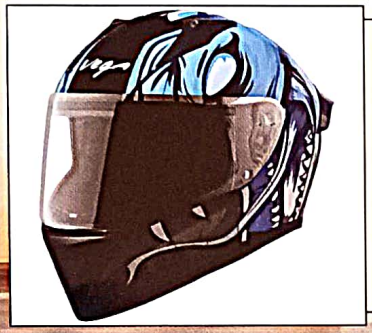

दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेल्मेट पहनेंगे।

कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे।

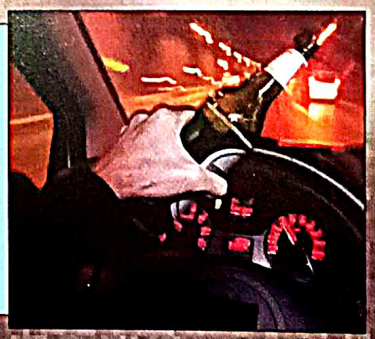

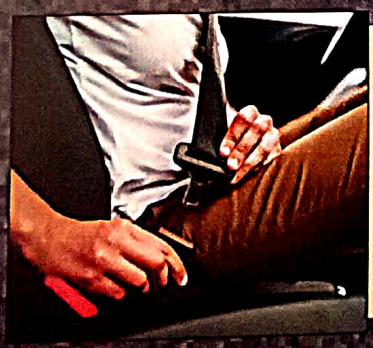

कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे।

उत्तराखण्ड शासन

सड़क सुरक्षा शपथ

वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे न देखेंगे।

हमशेा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन करायेंगे।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।

जय हिन्द, जय भारत।

विषय-सूची

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	भारत एवं उत्तराखण्ड में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण	1
2.	राज्य में वर्ष 2022 में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण	3
3.	जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या	23
4.	राज्य में सड़कों की स्थिति, ब्लैक स्पॉट आदि	24
5.	दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम	25
6.	भविष्य की योजनाएं	33

भारत एवं उत्तराखण्ड में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण

1. भारत में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतक एवं घायलों का विवरणः–

देश के विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में वर्ष 2021 में कुल 4,12,432 वाहन दुर्घटनाएं हुई है। जिनमें 1,53,972 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 3,84,448 व्यक्ति घायल हुये हैं। इस प्रकार वर्ष 2021 में 2020 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 12.64 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 16.89 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 10.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उपरोक्त आकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि देश में प्रतिदिन 1129 वाहन दुर्घटनाओं में लगभग 422 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है।

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता *
2012	4,90,383	1,38,258	5,09,667	28.2
2013	4,86,476	1,37,572	4,94,893	28.3
2014	4,89,400	1,39,671	4,93,474	28.5
2015	5,01,423	1,46,133	5,00,279	29.1
2016	4,80,652	1,50,785	4,94,624	31.4
2017	4,64,910	1,47,913	4,70,975	31.8
2018	4,67,044	1,51,417	4,69,418	32.42
2019	4,49,002	1,51,113	4,51,361	33.7
2020	3,66,138	1,31,714	3,48,279	35.97
2021	4,12,432	1,53,972	3,84,448	37.33

***गम्भीरता से आशय प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या से है।**
(स्रोत–सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

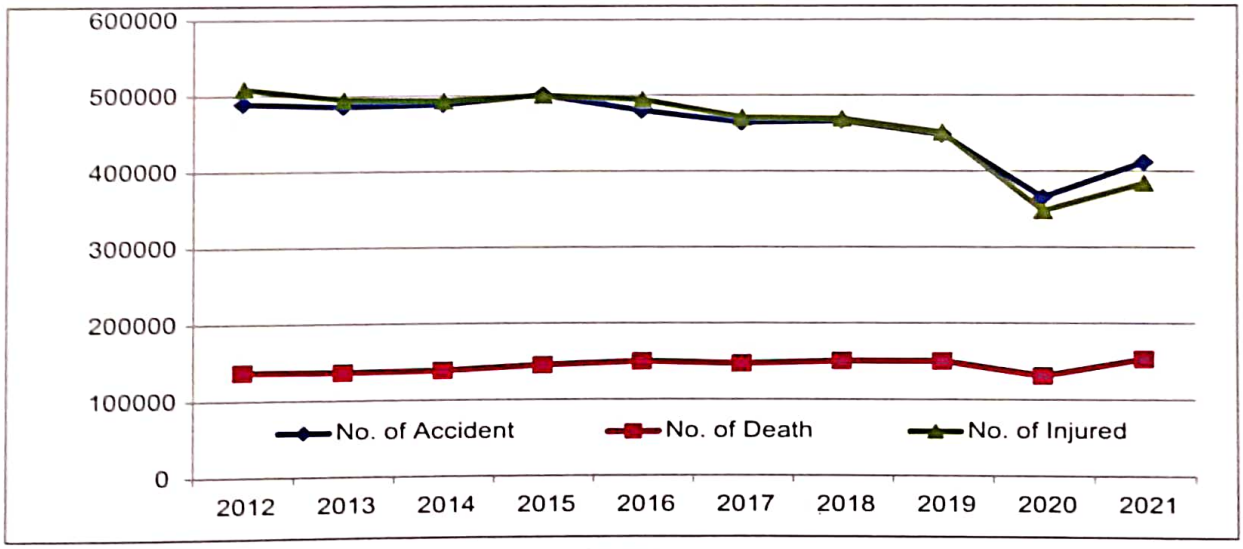

2. उत्तराखण्ड राज्य में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाएं, मृतक एवं घायलों का विवरणः–

राज्य में वर्ष 2022 में कुल 1674 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई है। जिनमें 1042 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1613 व्यक्ति घायल हुए हैं। इस प्रकार वर्ष 2022 में वर्ष 2021 की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में 19.15 प्रतिशत, मृतकों की संख्या में 27.07 प्रतिशत तथा घायलों की संख्या में 47.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उपरोक्त आकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्ष 2022 में राज्य में प्रतिदिन 4.58 वाहन दुर्घटनाओं में लगभग 2.85 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है।

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	दुर्घटना की गम्भीरता *
2013	1297	766	1503	59.05
2014	1410	878	1531	62.26
2015	1523	913	1657	59.94
2016	1591	962	1735	60.46
2017	1603	942	1631	58.08
2018	1468	1047	1571	71.30
2019	1352	867	1457	64.12
2020	1041	674	854	64.74
2021	1405	820	1091	58.36
2022	1674	1042	1613	62.24

*गम्भीरता से आशय प्रत्येक 100 दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या से है।

उत्तराखण्ड राज्य में विगत 10 वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण

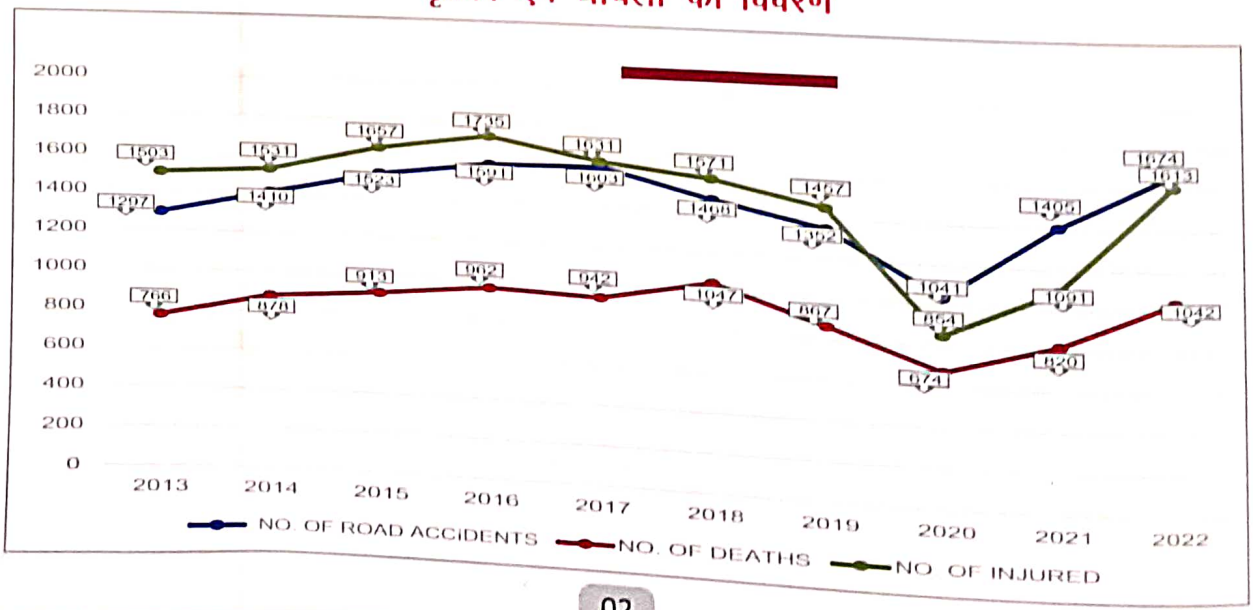

राज्य में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण

1. राज्य में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में जनपदवार घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरणः–

राज्य में वर्ष 2022 में जनपद देहरादून में सर्वाधिक 465 दुर्घटनाएं घटित हुई है। जबकि सबसे कम 06 दुर्घटनाएं जनपद बागेश्वर में घटित हुई है।

जनपद	दुर्घटनाओं की संख्या			मृतकों की संख्या			घायलों की संख्या		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
चम्पावत	05	11	25	02	4	29	08	14	47
देहरादून	246	365	465	115	165	177	196	247	369
बागेश्वर	04	9	6	02	8	5	02	18	6
पिथौरागढ़	12	12	16	05	6	5	23	11	14
नैनीताल	147	177	246	72	80	114	135	141	199
रुद्रप्रयाग	10	9	11	12	8	9	09	9	9
चमोली	19	4	12	10	7	4	17	1	16
उत्तरकाशी	17	17	25	33	20	62	22	19	76
अल्मोड़ा	03	21	13	02	13	8	04	41	30
टिहरी	44	32	40	61	40	64	55	29	136
उधमसिंहनगर	271	361	419	188	230	259	162	235	342
हरिद्वार	229	354	370	153	220	250	159	292	309
पौड़ी	34	33	26	19	19	56	62	34	60
योग	**1041**	**1405**	**1674**	**674**	**820**	**1042**	**854**	**1091**	**1613**

राज्य में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में जनपदवार घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण

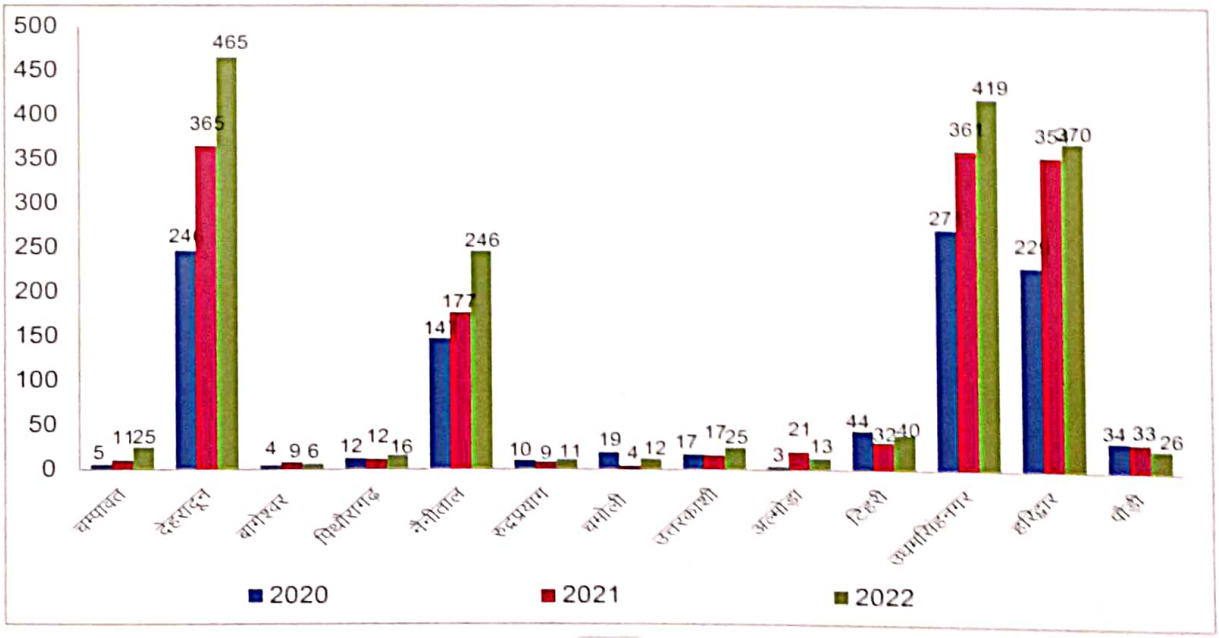

राज्य में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में जनपदवार मृतकों का विवरण

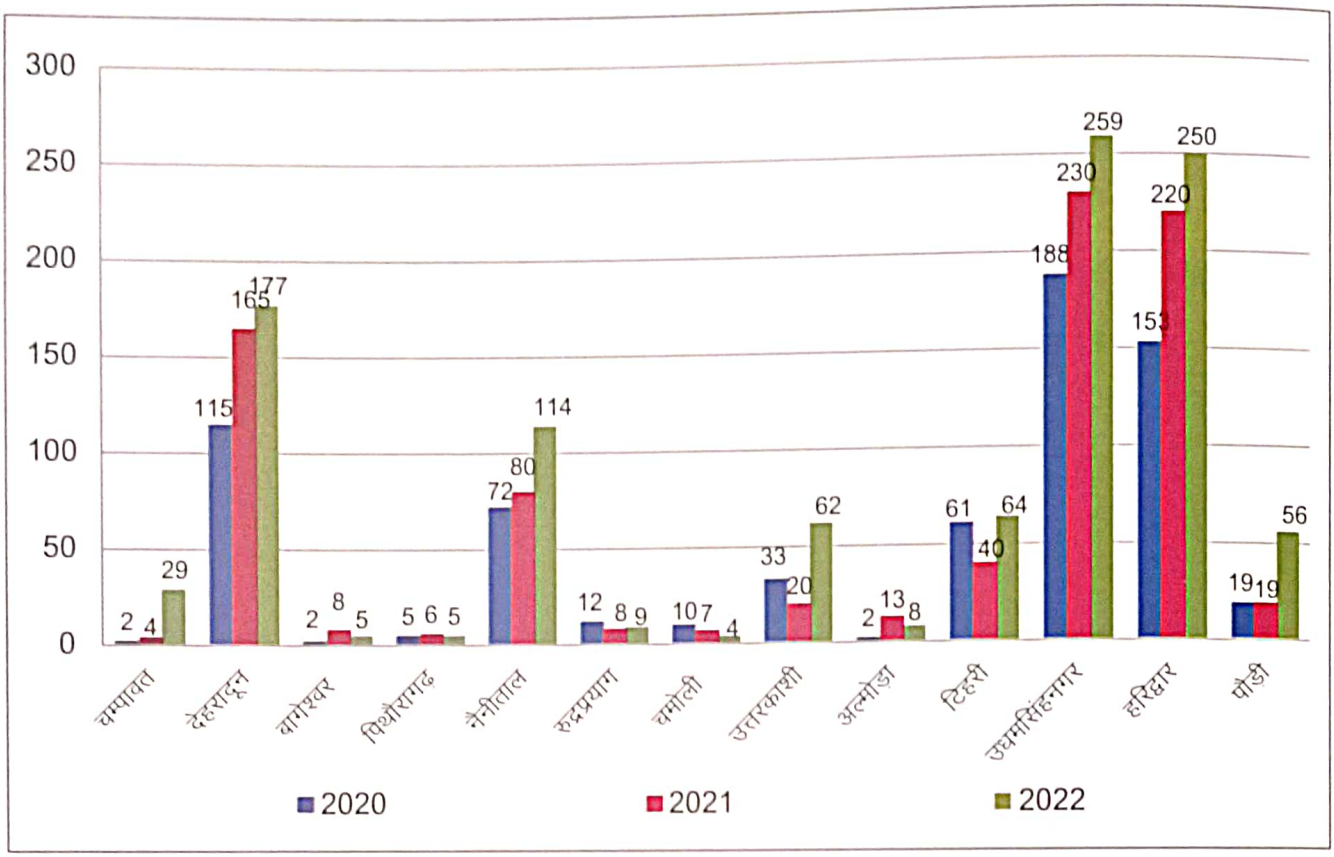

राज्य में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में जनपदवार घायलों का विवरण

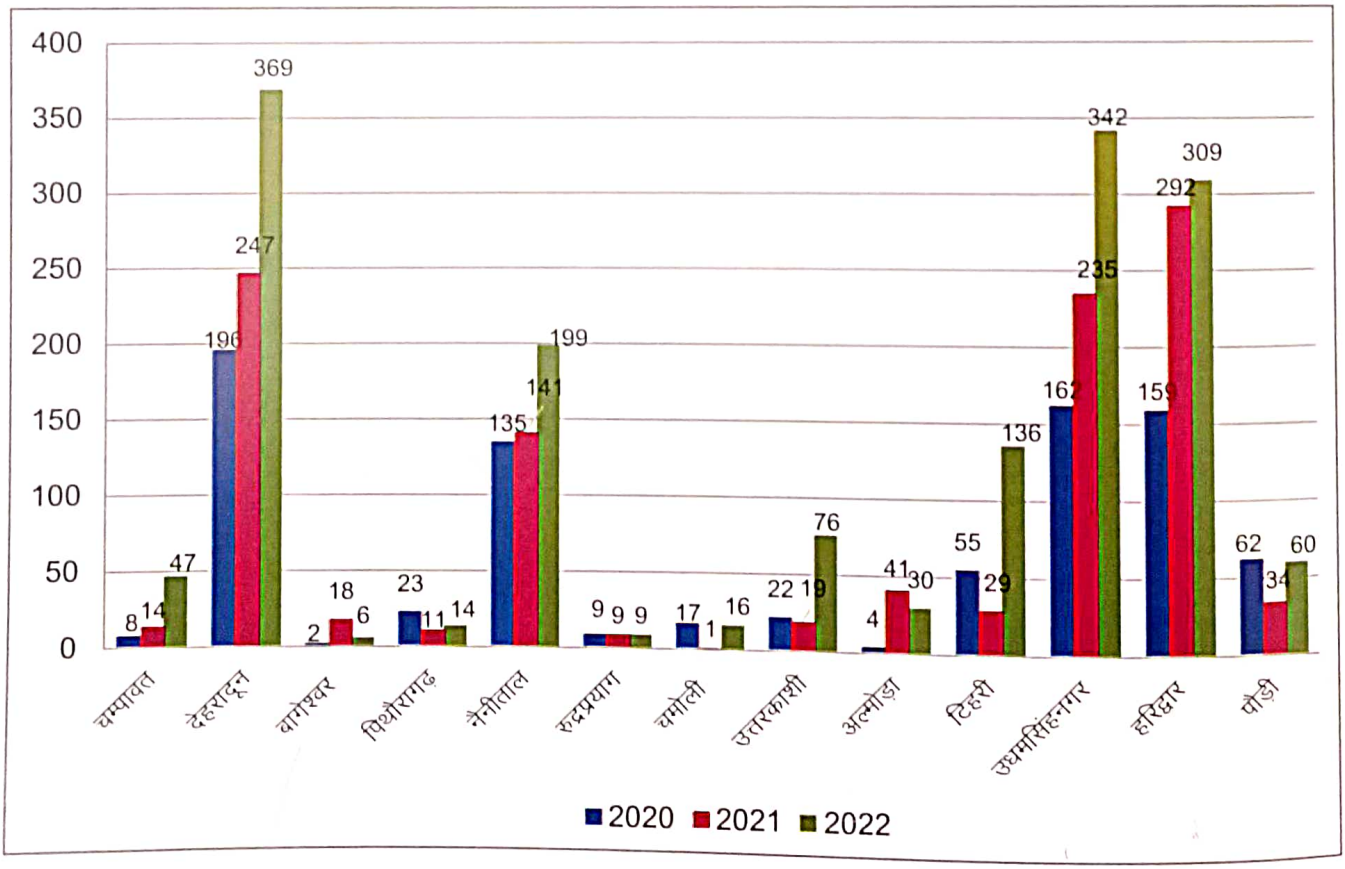

2. वर्ष 2022 में राज्य में माहवार घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

माह का नाम	दुर्घटना	मृतक	घायल
जनवरी	106	66	102
फरवरी	99	65	90
मार्च	148	98	124
अप्रैल	164	89	151
मई	142	91	127
जून	162	124	165
जुलाई	135	77	212
अगस्त	143	69	119
सितम्बर	120	71	104
अक्टूबर	147	120	149
नवम्बर	149	87	149
दिसम्बर	159	85	121
कुल योग	1674	1042	1613

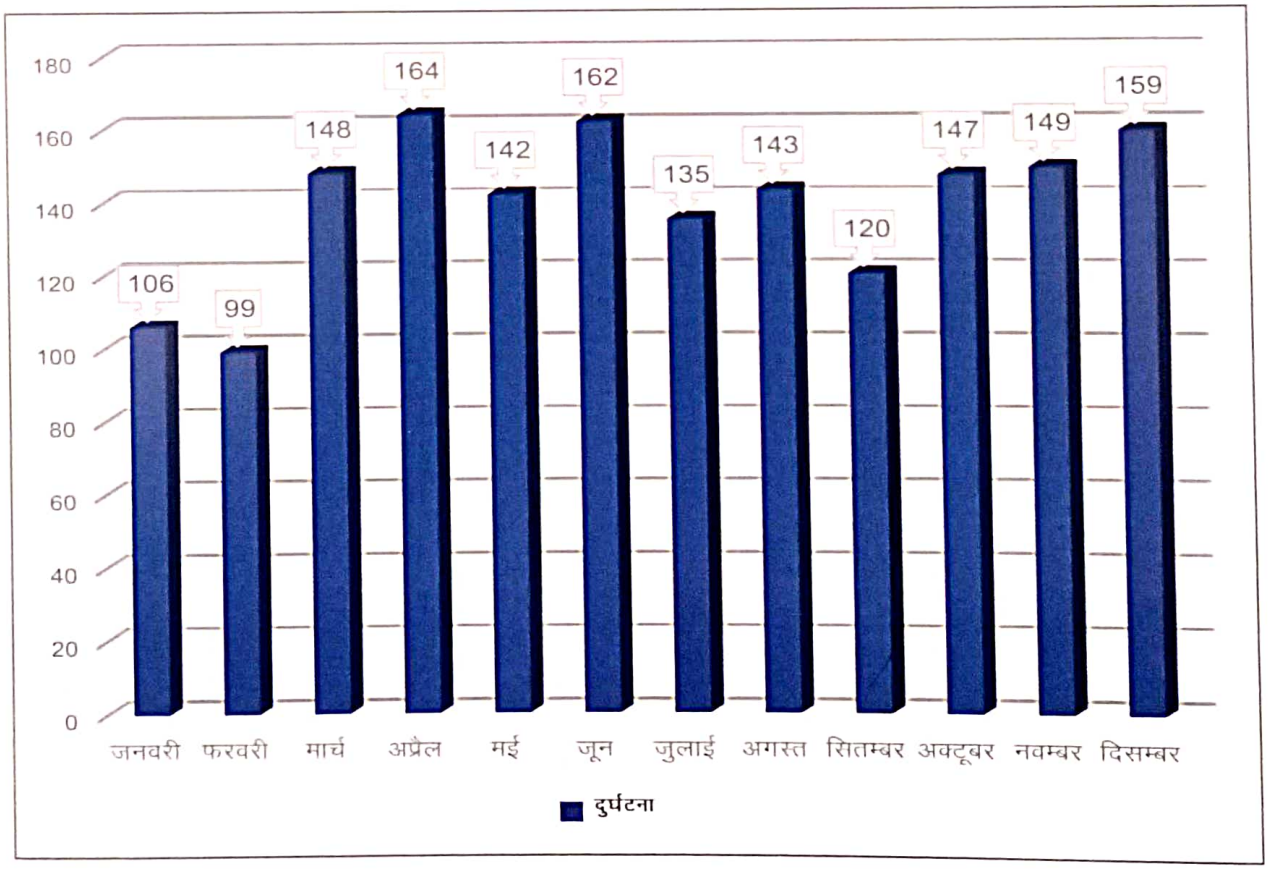

140
120
100
80
60
40
20
0
66
65
98
89
91
124
77
69
71
120
87
85
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
मृतक

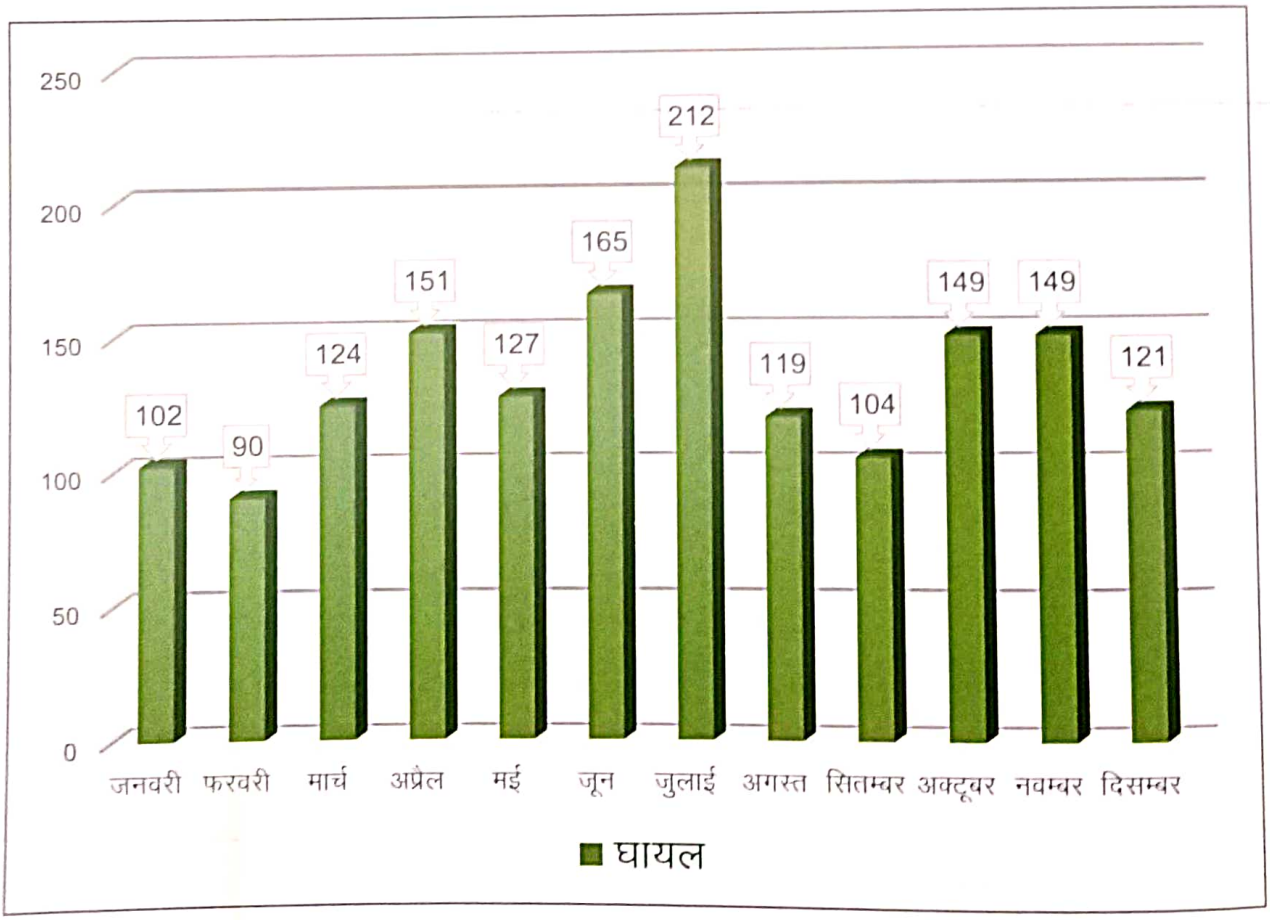
250
200
150
100
50
0
102
90
124
151
127
165
212
119
104
149
149
121
जनवरी
फरवरी
मार्च
अप्रैल
मई
जून
जुलाई
अगस्त
सितम्बर
अक्टूबर
नवम्बर
दिसम्बर
घायल

3. वर्ष 2022 में राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरणः–

राज्य में वर्ष 2022 में 1674 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई है। जिसमें 1042 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1613 व्यक्ति घायल हुए हैं। जिसमें 843 दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में घटित हुई है। जिसमें 686 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में दुर्घटना, मृतक एवं घायलों की संख्या में क्रमशः 0.71 प्रतिशत, 31.67 प्रतिशत तथा 5.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

क्षेत्र का प्रकार	दुर्घटना	मृतक	घायल
शहरी क्षेत्र	831	356	761
ग्रामीण क्षेत्र	843	686	852
योग	**1674**	**1042**	**1613**

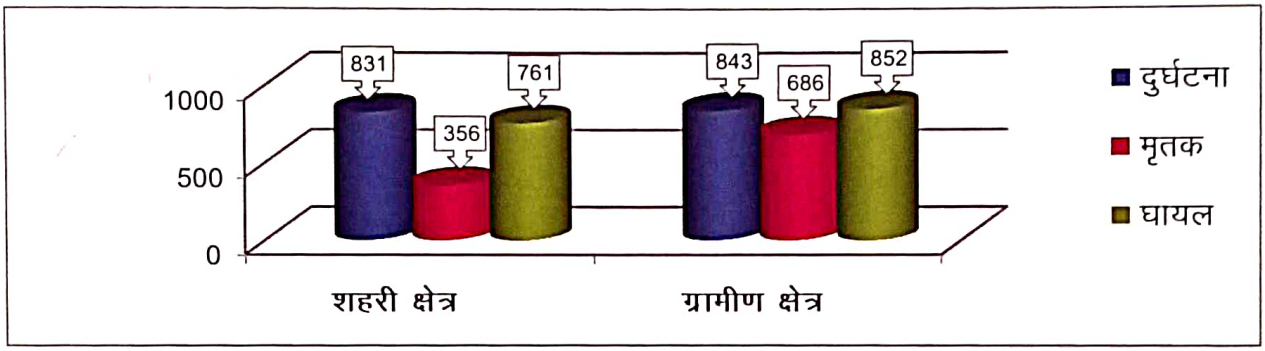

4. वर्ष 2022 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का समयवार विवरणः–

राज्य में वर्ष 2022 में समय 18:00 बजे से 21:00 बजे तक सर्वाधिक दुर्घटनाएं घटित हुई है। जिसमें सर्वाधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

समय	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
06:00 से 9:00 बजे (दिन)	173	101	158
09:00 से 12:00 बजे (दिन)	211	92	214
12:00 से 15:00 बजे (दिन)	196	102	205
15:00 से 18:00 बजे (दिन)	219	140	304
18:00 से 21:00 बजे (रात)	316	247	279
21:00 से 24:00 बजे (रात)	212	137	159
00:00 से 03:00 बजे (रात)	65	41	71
03:00 से 06:00 बजे (रात)	85	66	76
अज्ञात समय	197	116	157
योग–	**1674**	**1042**	**1613**

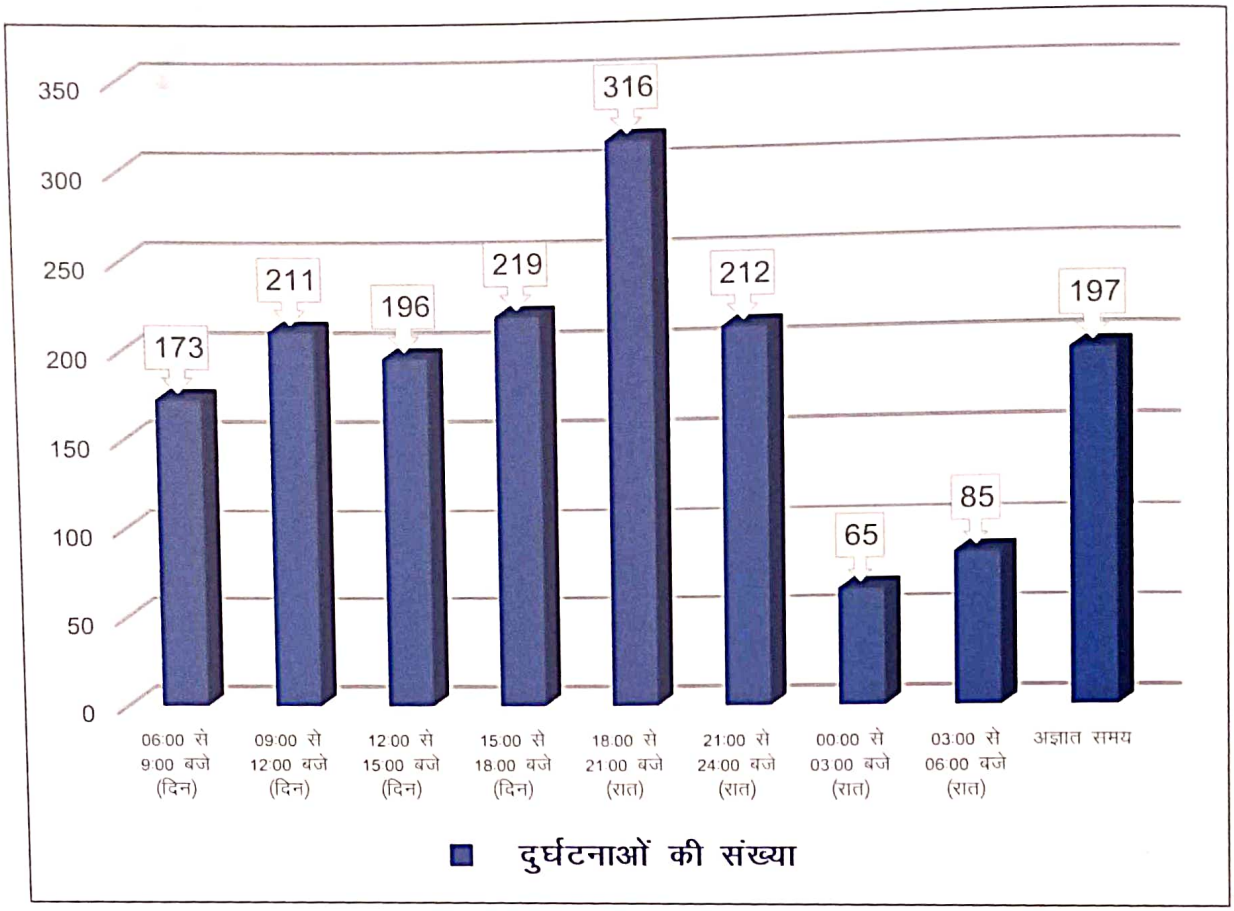
350
300
250
200
150
100
50
0
173
211
196
219
316
212
65
85
197
06:00 से 9:00 बजे (दिन)
09:00 से 12:00 बजे (दिन)
12:00 से 15:00 बजे (दिन)
15:00 से 18:00 बजे (दिन)
18:00 से 21:00 बजे (रात)
21:00 से 24:00 बजे (रात)
00:00 से 03:00 बजे (रात)
03:00 से 06:00 बजे (रात)
अज्ञात समय
दुर्घटनाओं की संख्या

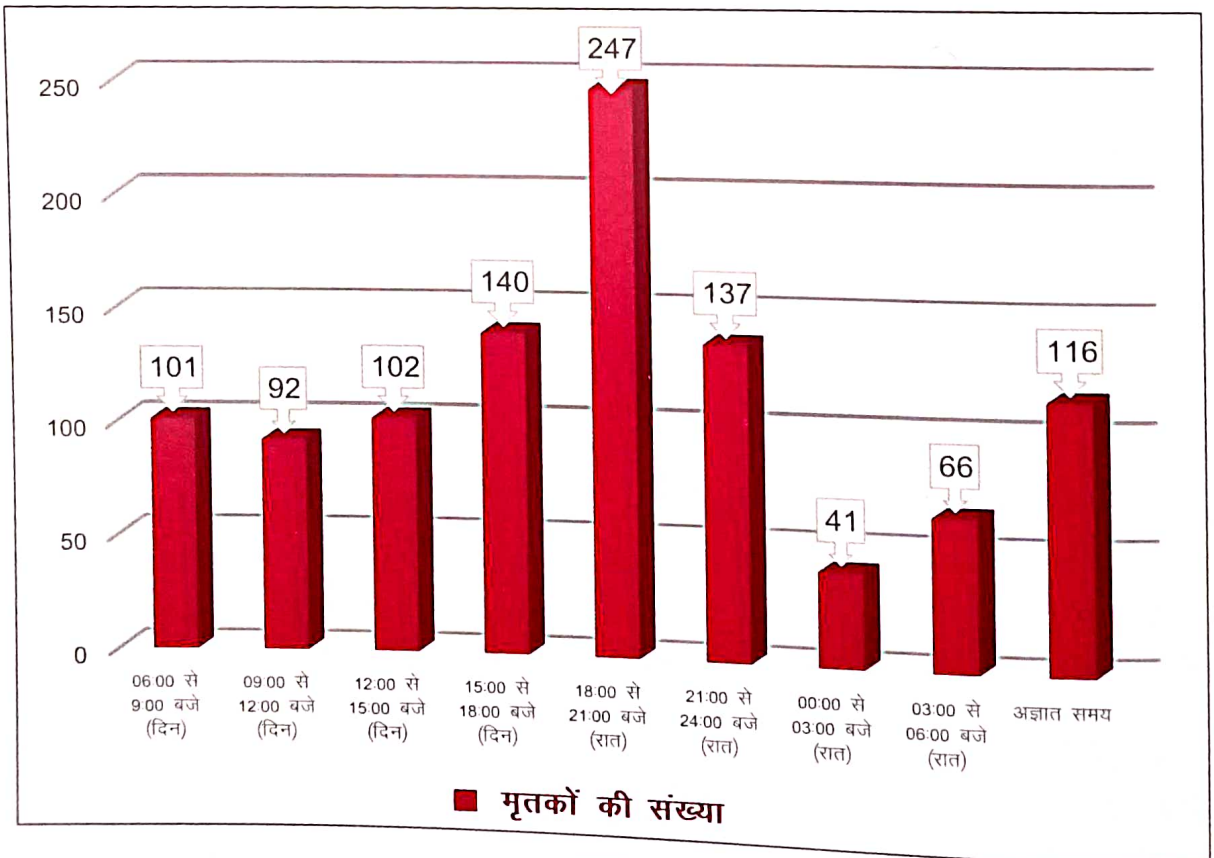
250
200
150
100
50
0
101
92
102
140
247
137
41
66
116
06:00 से 9:00 बजे (दिन)
09:00 से 12:00 बजे (दिन)
12:00 से 15:00 बजे (दिन)
15:00 से 18:00 बजे (दिन)
18:00 से 21:00 बजे (रात)
21:00 से 24:00 बजे (रात)
00:00 से 03:00 बजे (रात)
03:00 से 06:00 बजे (रात)
अज्ञात समय
मृतकों की संख्या

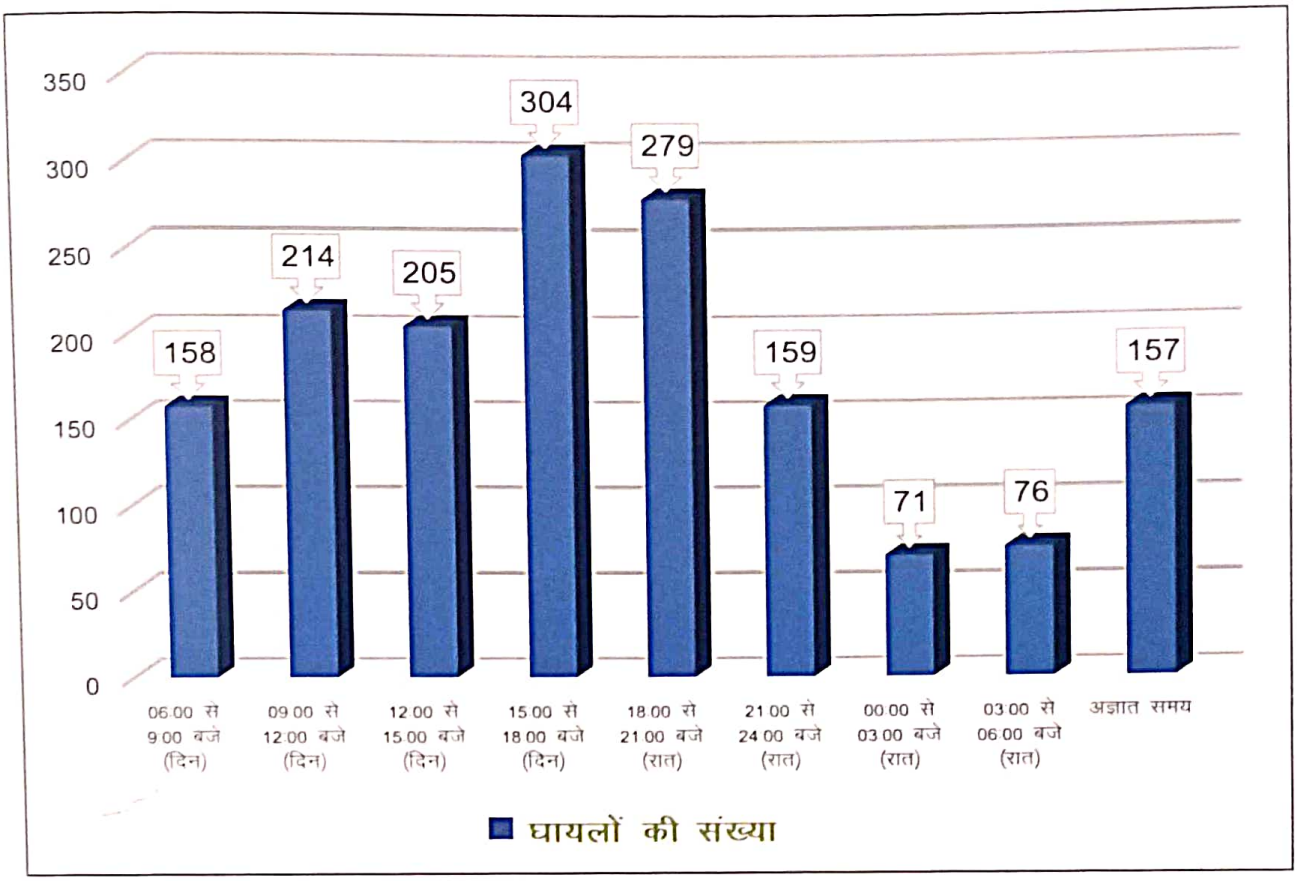

5. वर्ष 2022 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वाहनों की श्रेणी के आधार पर विवरणः–

राज्य में वर्ष 2022 में कुल 1674 सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई है। जिसमें 555 (33.15 प्रतिशत) दुर्घटनाएं पैदल यात्रियों के साथ घटित हुई है। जबकि सर्वाधिक 327 (19.53 प्रतिशत) व्यक्तियों की मृत्यु दुपहिया वाहनों से हुई है।

वाहन का प्रकार	दुर्घटना	मृतक	घायल
A- मोटरचालित यान			
दुपहियॉ वाहन	432	327	452
ऑटो रिक्शा	16	4	19
कार / जीप / वैन / टैक्सी	491	278	487
बस	23	3	106
ट्रक / भारी भार वाहन(एच0जी0वी0)	82	19	28
योग	**1044**	**631**	**1092**
B- गैर मोटर चालित वाहन			
ई–रिक्शा	13	2	11
साईकिल	31	21	46
साईकिल रिक्शा	–	–	–
योग	**44**	**23**	**57**

C- अन्य यान			
पैदल यात्री	555	290	390
अन्य	31	98	74
योग	**586**	**388**	**464**
महायोग–(A+B+C)	**1674**	**1042**	**1613**

वाहनों की श्रेणी (मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण

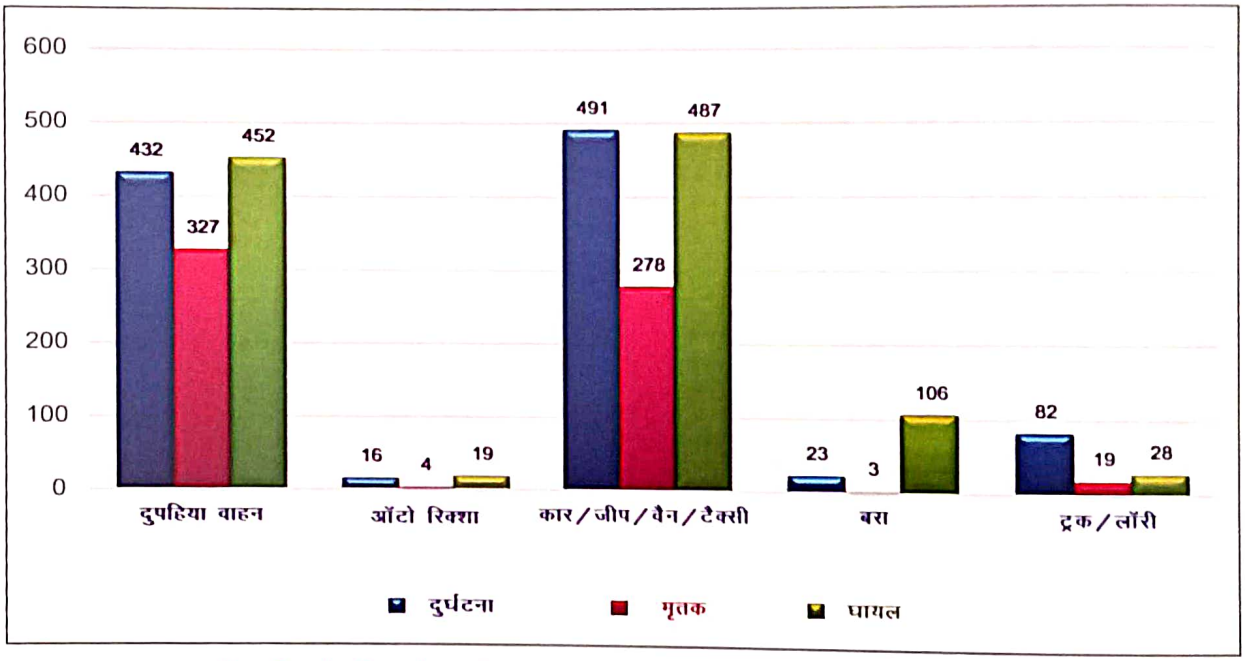

वाहनों की श्रेणी (गैर मोटरचालित यान) के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण

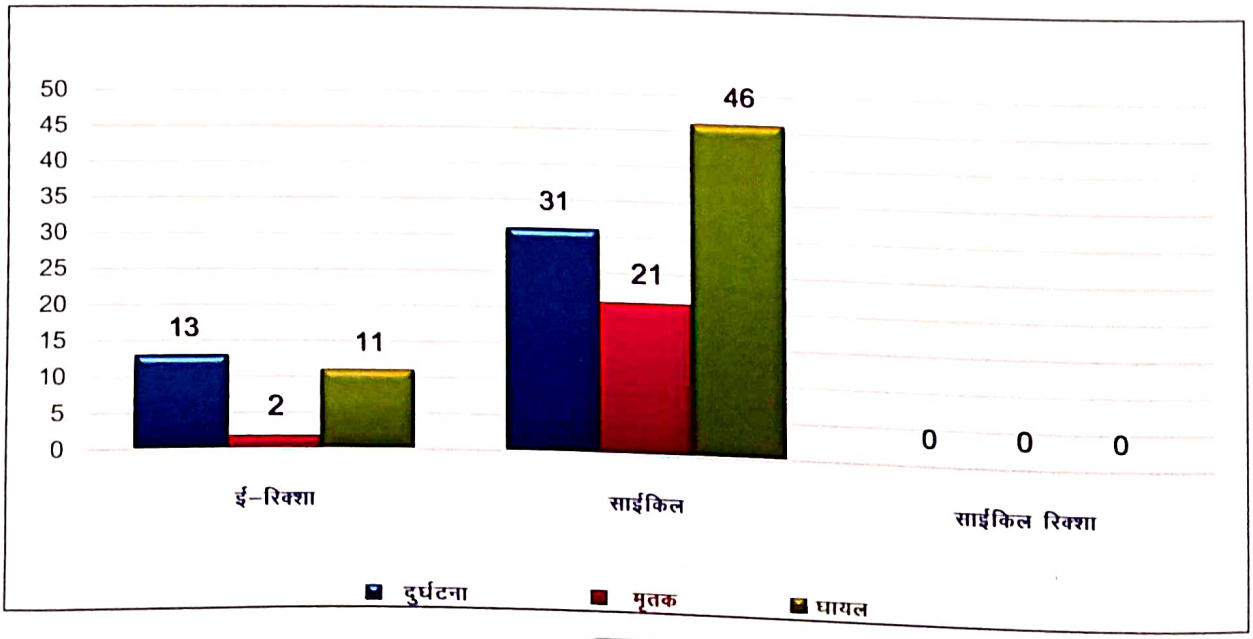

6. वर्ष 2022 में वाहनों की आयु के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरणः–

राज्य में वर्ष 2022 में सर्वाधिक 333 दुर्घटनाएं 05 वर्ष से कम आयु के वाहनों से घटित हुई है। जिसमें 192 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 313 व्यक्ति घायल हुए हैं।

वाहन की आयु	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
05 वर्ष से कम	541	364	526
05 से 10 वर्ष	535	322	497
10 से 15 वर्ष	209	110	174
15 वर्ष से अधिक	97	94	170
आयु ज्ञात नही	292	152	246
योग–	**1674**	**1042**	**1613**

वाहनों की आयु के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण

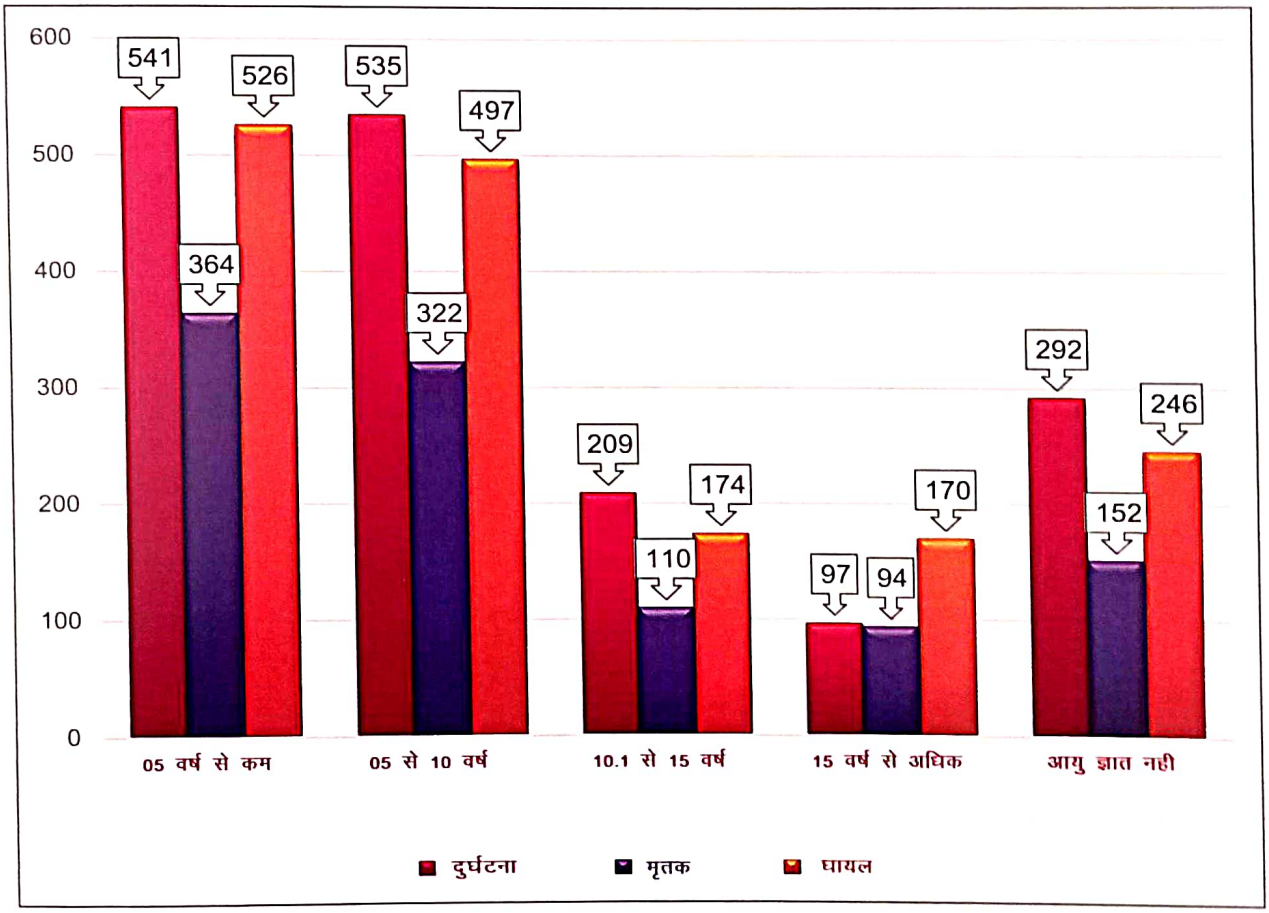

7. वर्ष 2022 में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का पीड़ितों का आयु एवं लिंगवार विवरण:–

राज्य में वर्ष 2022 में 913 महिलाओं की मृत्यु हुई है तथा 1265 महिलाएं घायल हुई है। जो कुल मृतकों एवं घायलों का क्रमशः 87.86 प्रतिशत एवं 78.42 प्रतिशत है। मृतक 913 महिलाओं में से 645 महिलाएं 18 से 45 वर्ष की आयु की है।

उपरोक्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले सर्वाधिक व्यक्ति 18 से 45 आयु वर्ग के हैं जो कि समाज का एक प्रमुख उत्पादक आयु वर्ग है।

व्यक्ति	मृतक		घायल	
आयु वर्ग	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
18 वर्ष से कम आयु	52	14	99	40
18 से 25 वर्ष	180	15	269	52
25 से 35 वर्ष	241	35	355	87
35 से 45 वर्ष	224	25	275	68
45 से 60 वर्ष	161	27	174	54
60 वर्ष से अधिक	50	12	59	23
आयु अज्ञात	5	1	34	24
योग–	**913**	**129**	**1265**	**348**

सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों (मृतक) का आयु एवं लिंगवार विवरण

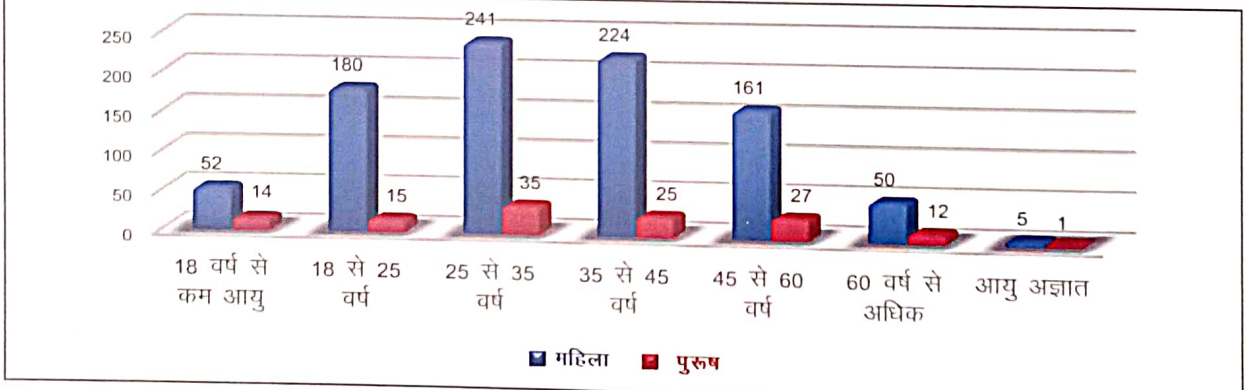

सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों (घायल) का आयु एवं लिंगवार विवरण

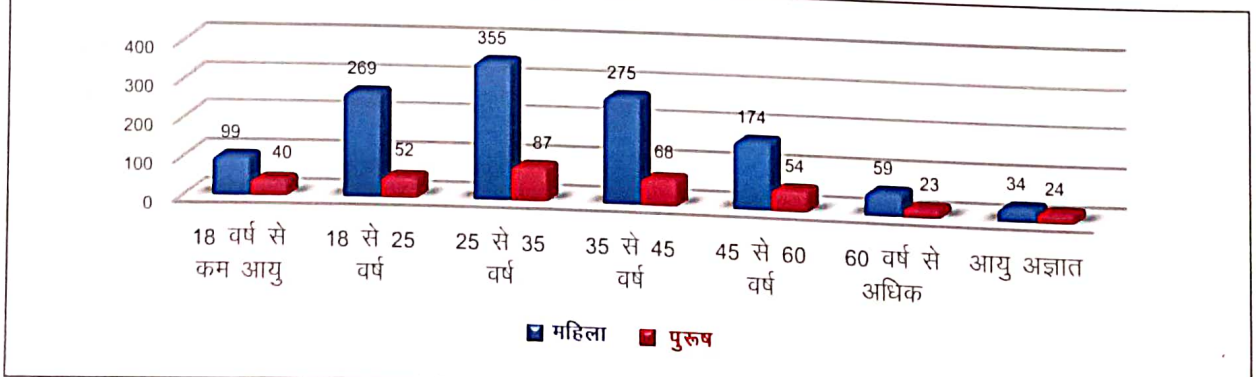

8. वर्ष 2022 में वाहनों के संघट्टन (टक्कर) के प्रकार के आधार पर दुघटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण।

राज्य में वर्ष 2022 में साईड से टक्कर से सर्वाधिक 495 दुर्घटनाएं घटित हुई है। जिसमें 265 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 456 व्यक्ति घायल हुए हैं।

टक्कर का प्रकार	दुर्घटना	मृतक	घायल
पीछे से टक्कर	223	151	113
वाहन का सड़क से नीचे उतरना	13	10	17
साईड से टक्कर	495	265	456
हिट एण्ड रन	478	219	394
वाहनों में आमने–सामने टक्कर	70	166	169
वाहन का पलटना	2	1	4
वाहन की किसी स्थिर वस्तु से टक्कर	14	9	110
खड़े वाहन से टक्कर	320	169	269
अन्य	59	52	81
योग	**1674**	**1042**	**1613**

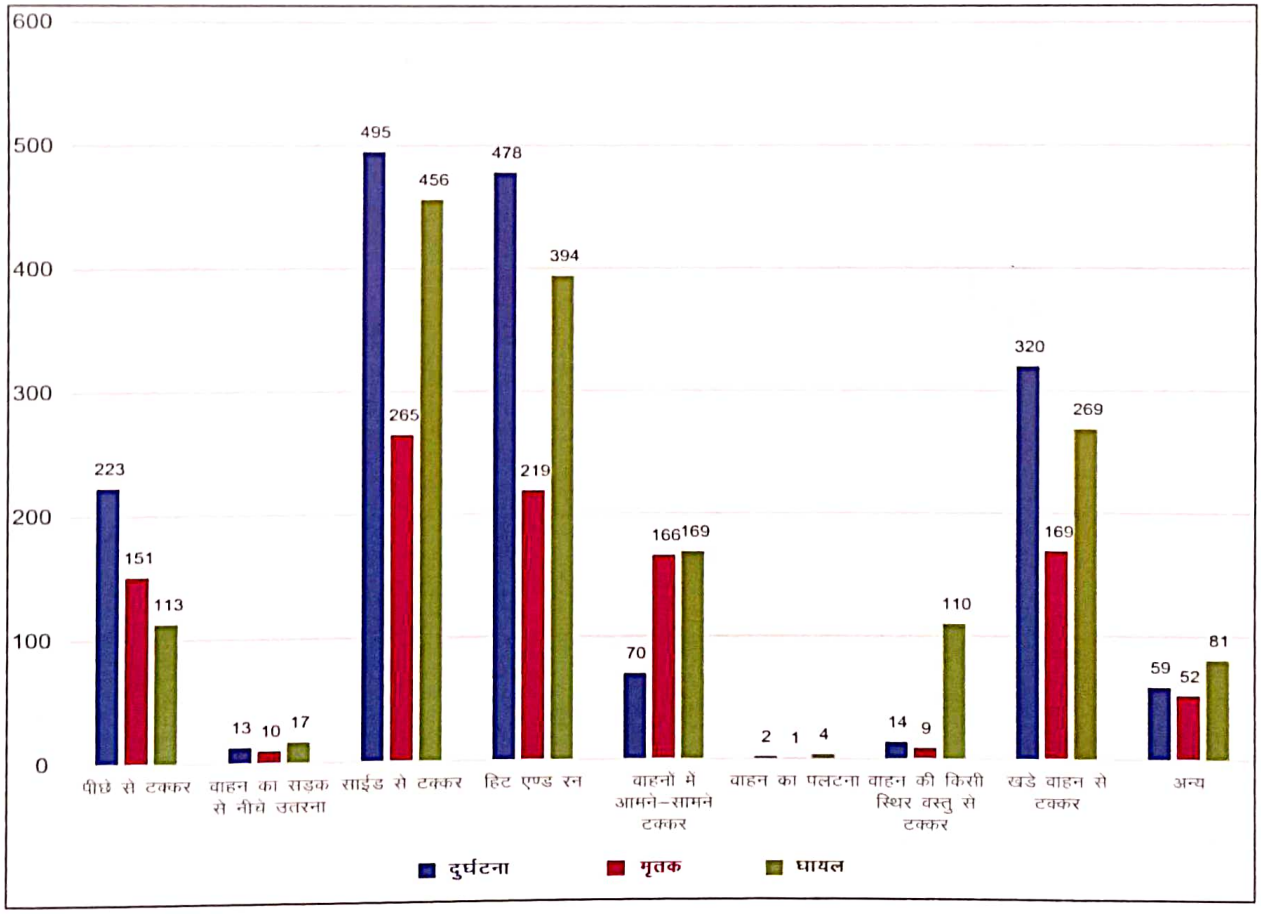

9. वर्ष 2022 में मार्ग के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण–

राज्य में वर्ष 2022 में सर्वाधिक 827 सड़क दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर घटित हुई है। जिसमें 545 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 908 व्यक्ति घायल हुये है।

मार्ग का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
राष्ट्रीय राजमार्ग	827	545	908
राज्य राजमार्ग	256	149	182
अन्य मार्ग	591	348	523
योग	**1674**	**1042**	**1613**

मार्ग के प्रकार के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतकों एवं घायलों का विवरण

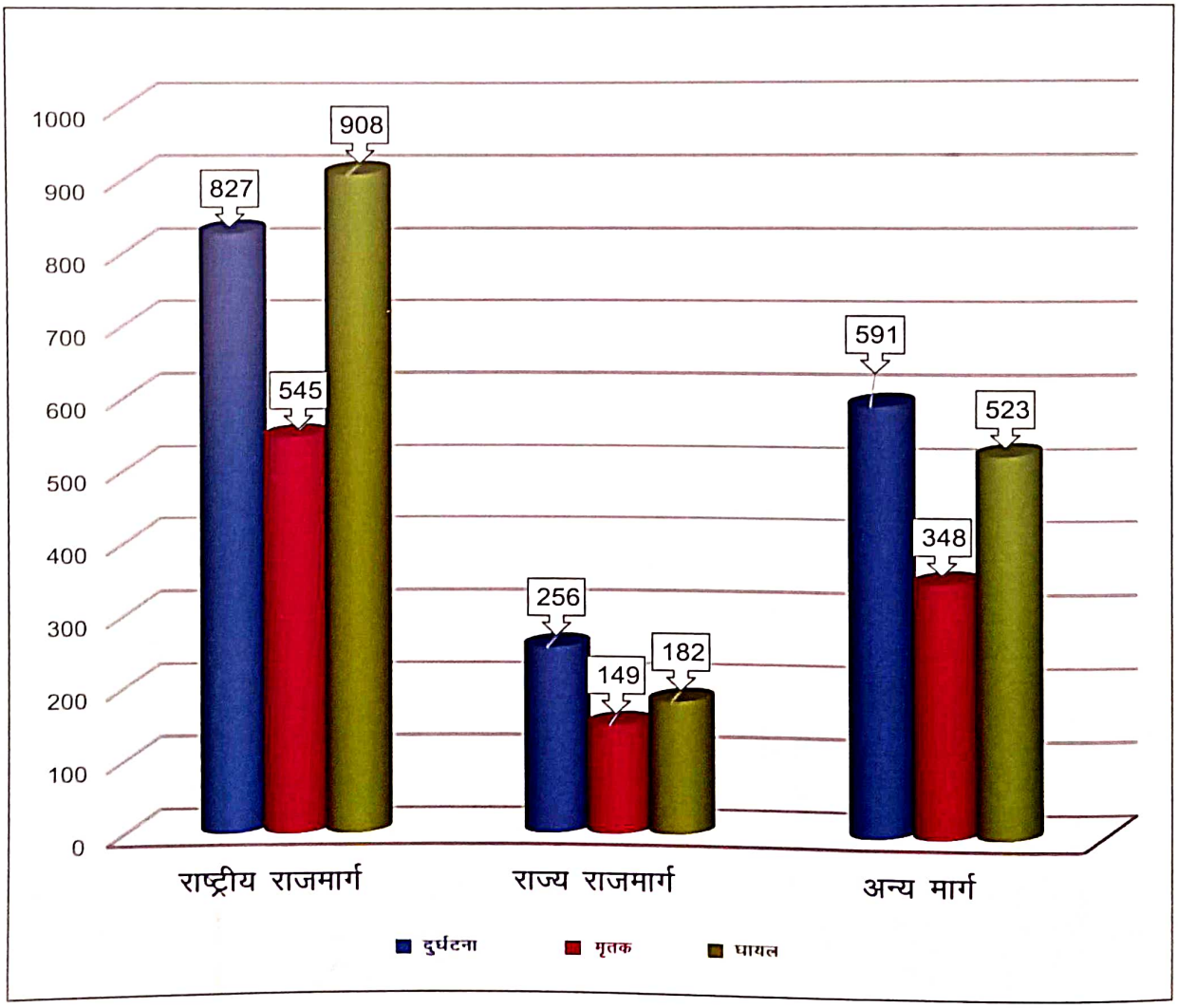

10. वर्ष 2022 में सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

राज्य में वर्ष 2022 में सड़क परिदृश्य के आधार पर सर्वाधिक 810 सड़क दुर्घटनाएं खुले क्षेत्रों में घटित हुई है जिसमें 636 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 814 व्यक्ति घायल हुए हैं।

दुर्घटना क्षेत्र	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
आवासीय क्षेत्र	374	181	287
संस्थागत क्षेत्र	73	42	68
बाजार / व्यवसायिक क्षेत्र	408	181	433
खुला क्षेत्र	810	636	814
अन्य	9	2	11
योग	**1674**	**1042**	**1613**

सड़क परिदृश्य के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण

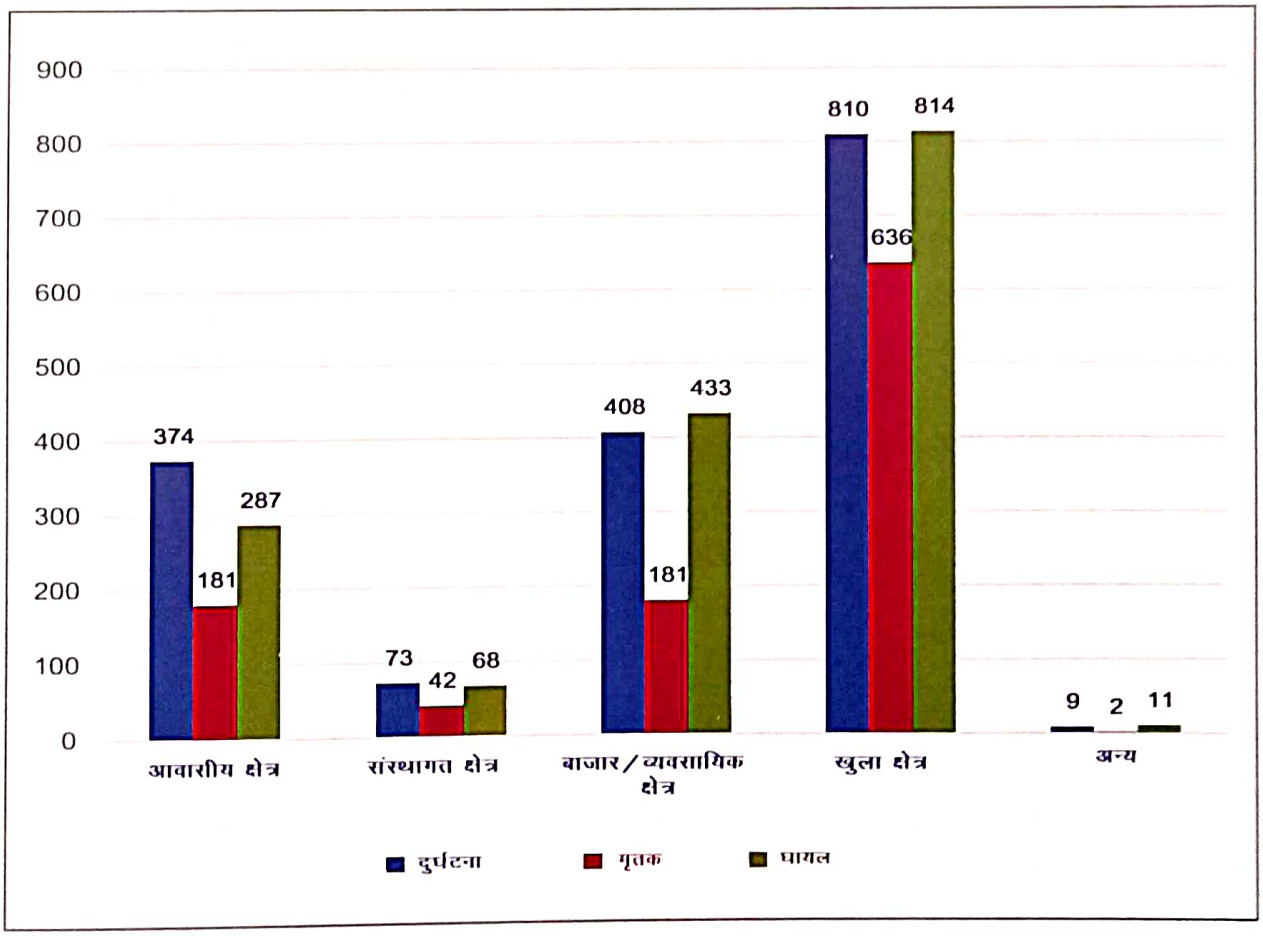

11. वर्ष 2022 में सड़क की विशिष्टताओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

राज्य में वर्ष 2022 में सड़क की विशिष्टताओं के आधार पर सर्वाधिक 1276 सड़क दुर्घटनाएं सीधी सड़कों में घटित हुई है जिसमें 807 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1066 व्यक्ति घायल हुये है। उपरोक्त आकड़ो के अनुसार सीधी सड़कों पर सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होने का एक मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग है।

सड़क की विशिष्टता	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
सीधी सड़क	1276	807	1066
घुमावदार सड़क	359	205	503
पुल	24	19	16
कलबर्ट	1	0	1
पोटहाल्स	0	0	0
तीव्र ढाल वाली सड़क	2	1	2
निर्माणाधीन सड़क	0	0	0
अन्य	12	10	25
योग	**1674**	**1042**	**1613**

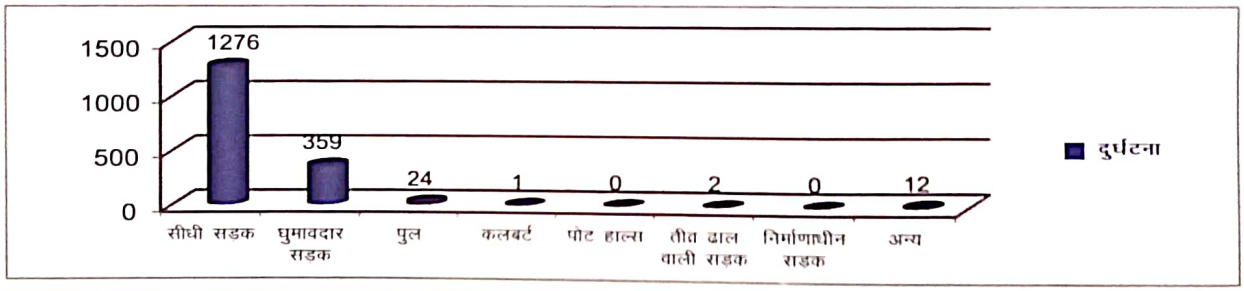

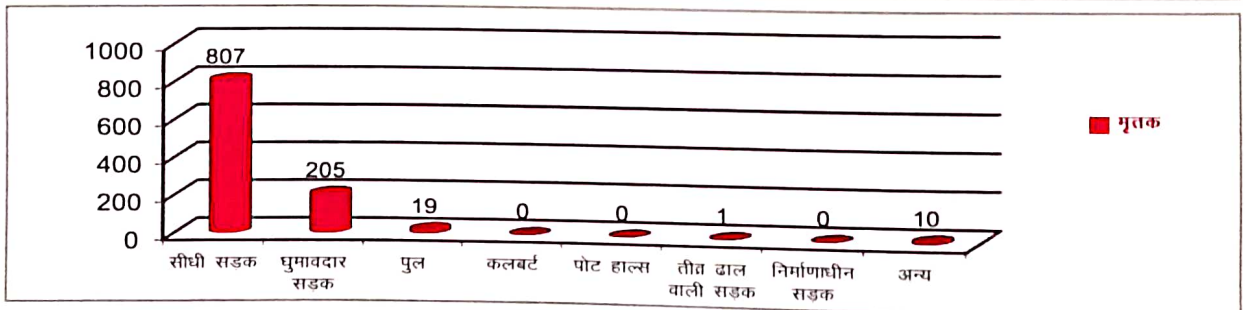

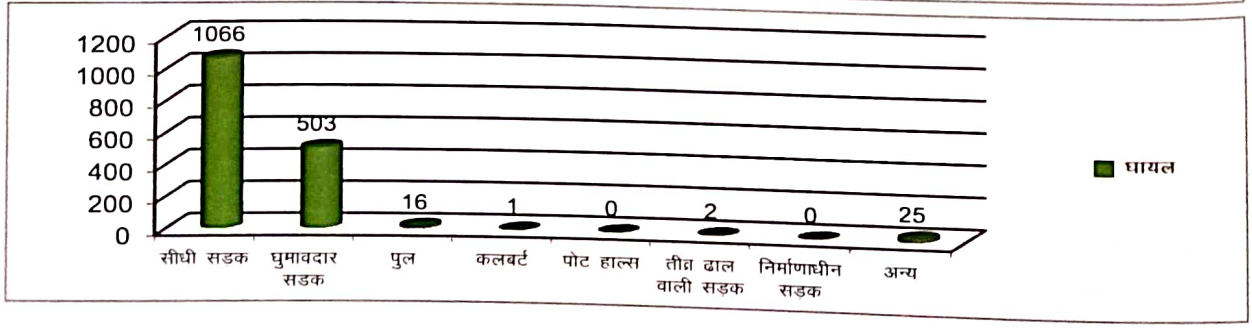

12. वर्ष 2022 में जंक्शन के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

राज्य में वर्ष 2022 में जंक्शन की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक 58 सड़क दुर्घटनाएं चतुर्भुजीय जंक्शन में घटित हुई है जिसमें 25 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 49 व्यक्ति घायल हुए हैं।

जंक्शन का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
टी (T) जंक्शन	20	12	19
वाय (Y) जंक्शन	15	11	11
चतुर्भुजीय जंक्शन	58	25	49
अव्यवस्थित जंक्शन	3	0	3
घुमावदार जंक्शन	2	0	3
योग–	**98**	**48**	**85**

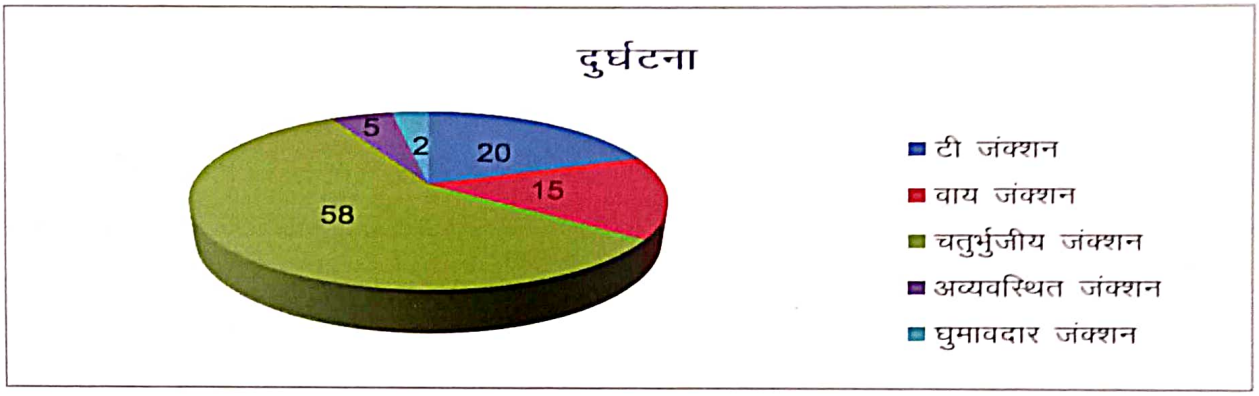

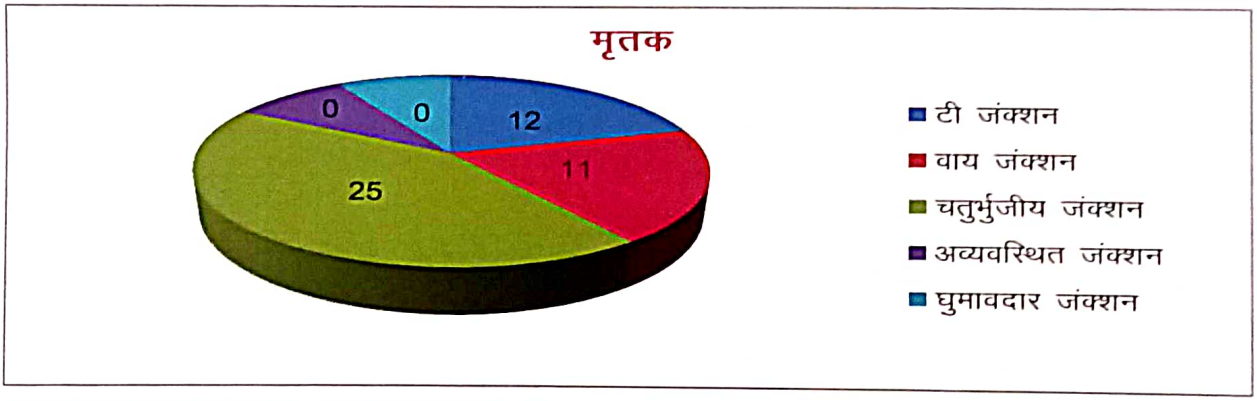

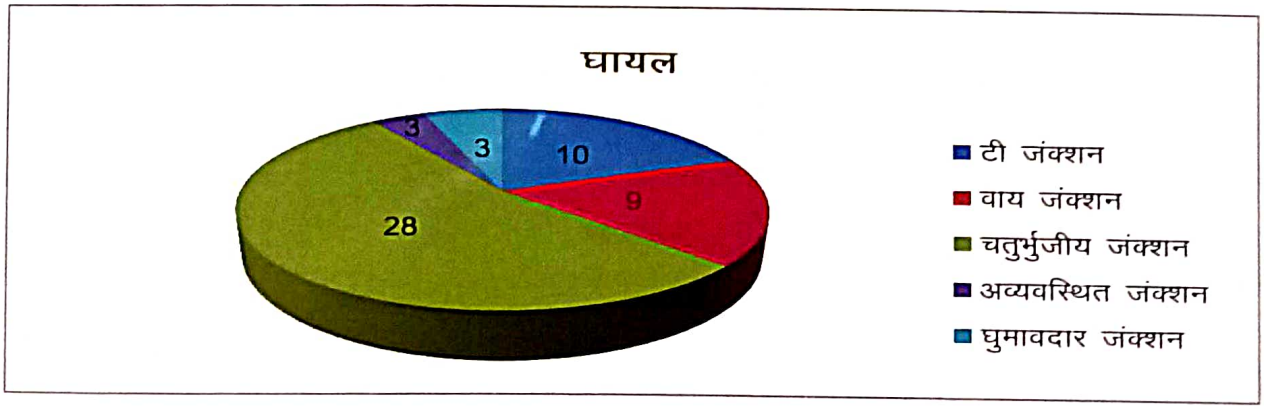

13. वर्ष 2022 में जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के आधार पर घटित दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

ट्रैफिक नियंत्रण का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
ट्रैफिक लाईट द्वारा नियंत्रित	17	6	20
पुलिस द्वारा नियंत्रित	30	7	27
स्टॉप संकेत द्वारा नियंत्रित	1	1	0
चमकती संकेतक/ब्लिंकर	11	9	9
अनियंत्रित	39	25	29
योग–	**98**	**48**	**85**

जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के आधार पर घटित दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण

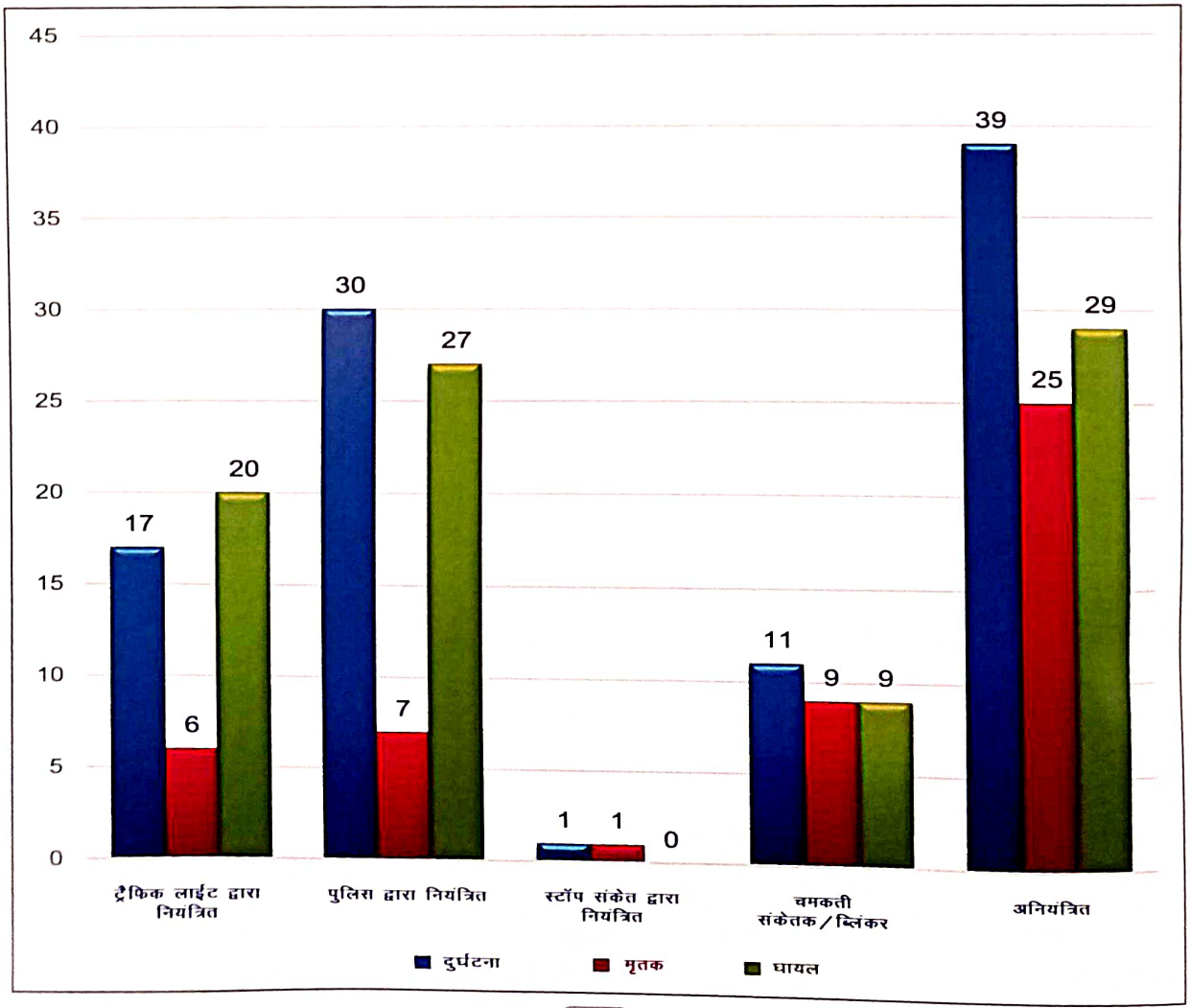

14. वर्ष 2022 में जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण–

राज्य में वर्ष 2022 में जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर सर्वाधिक 1423 सड़क दुर्घटनाएं धूप/साफ जलवायु में घटित हुई है जिसमें 917 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1388 व्यक्ति घायल हुए हैं।

जलवायु अवस्था	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतक	घायल
धूप/साफ जलवायु	1423	917	1388
वर्षाकाल	166	76	149
कोहरा/धुंध	71	31	63
ओला–वर्षा	2	0	3
अन्य	12	18	10
योग–	**1674**	**1042**	**1613**

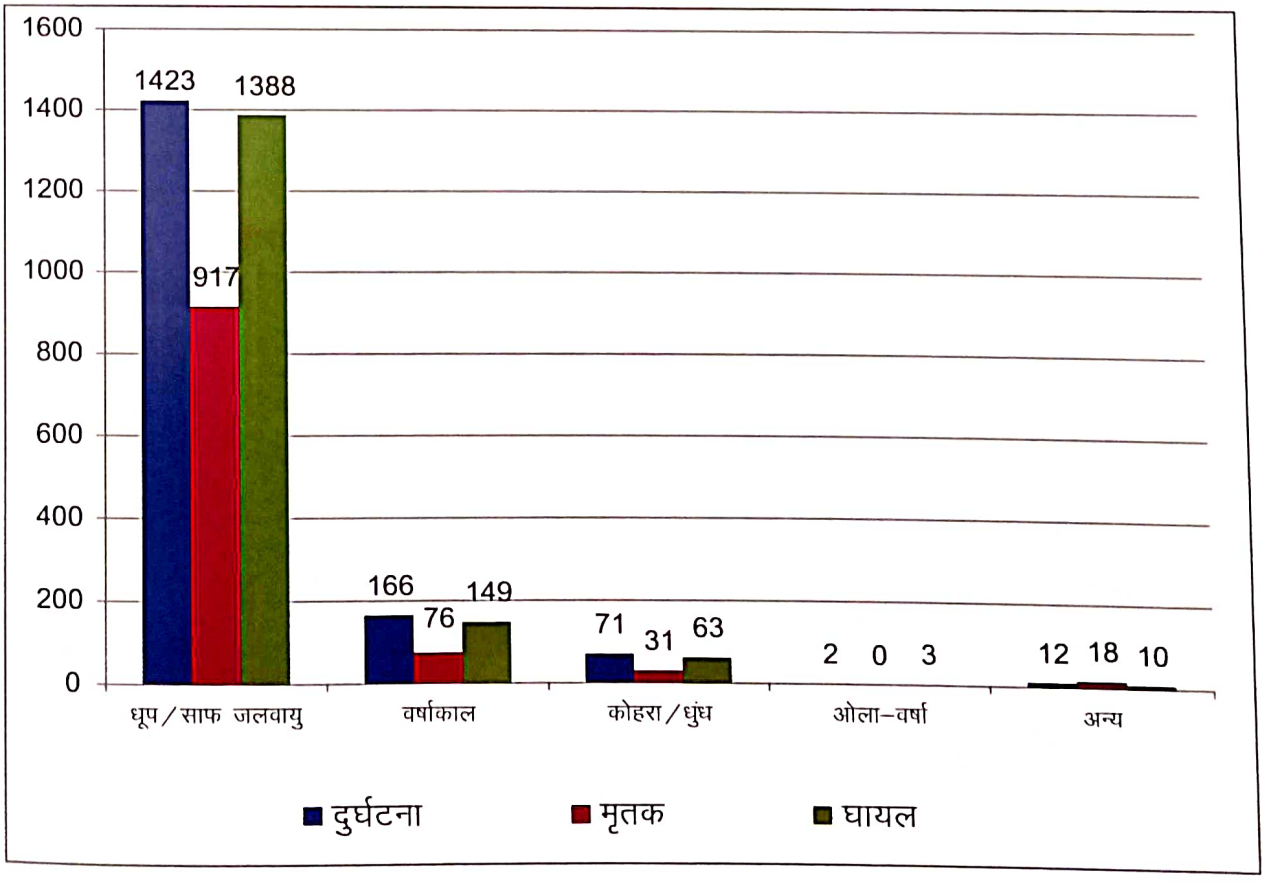

15. वर्ष 2022 में सड़क की उपयोगिता के आधार पर मृतकों एवं घायलों का विवरण–

राज्य में वर्ष 2022 में सड़क की उपयोगिता के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक 338 व्यक्तियों की मृत्यु दुपहिया वाहनों से हुई है जिसमें 384 व्यक्ति घायल हुए हैं।

व्यक्ति	मृतक	घायल
1–पैदल	290	390
2–साईकिल सवार	21	46
3–दोपहिया सवार	327	452
4–आटो रिक्शा	4	19
5–कार / टैक्सी / वैन	278	487
6–ट्रक / लारी	19	28
7–बस	3	106
8–अन्य मोटरयान	98	74
9–अन्य व्यक्ति	2	11
योग–	**1042**	**1613**

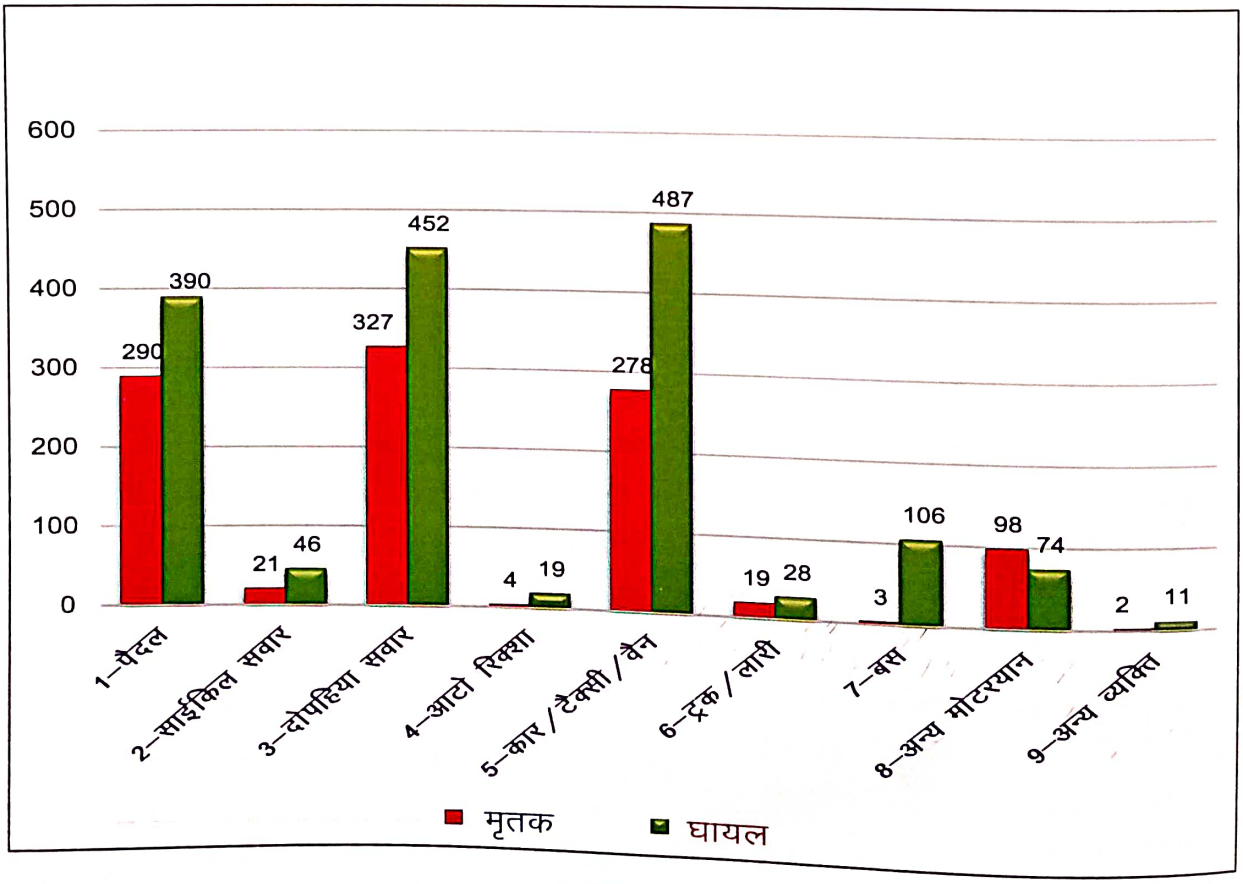

16. वर्ष 2022 में यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रकार के आधार पर हुयी सड़क दुर्घटनाओं का विवरण–

राज्य में वर्ष 2022 में यातायात नियमों के उल्लंघन के आधार पर सर्वाधिक 1325 सड़क दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग के अभियोगों में हुई है जिसमें 782 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 1179 व्यक्ति घायल हुए हैं।

यातायात नियमों का उल्लंघन	दुर्घटनाओं की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या
ओवरस्पीडिंग	1325	782	1179
गलत दिशा में वाहन संचालन	13	7	8
शराब पीकर वाहन संचालन	96	49	70
वाहन संचालन करते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना	1	0	1
रेड़ लाईट जम्प करना	1	1	0
अन्य	238	203	355
योग–	**1674**	**1042**	**1613**

यातायात नियमों का उल्लंघन के प्रकार के आधार दुर्घटनाओं, मृतको एवं घायलों का विवरण

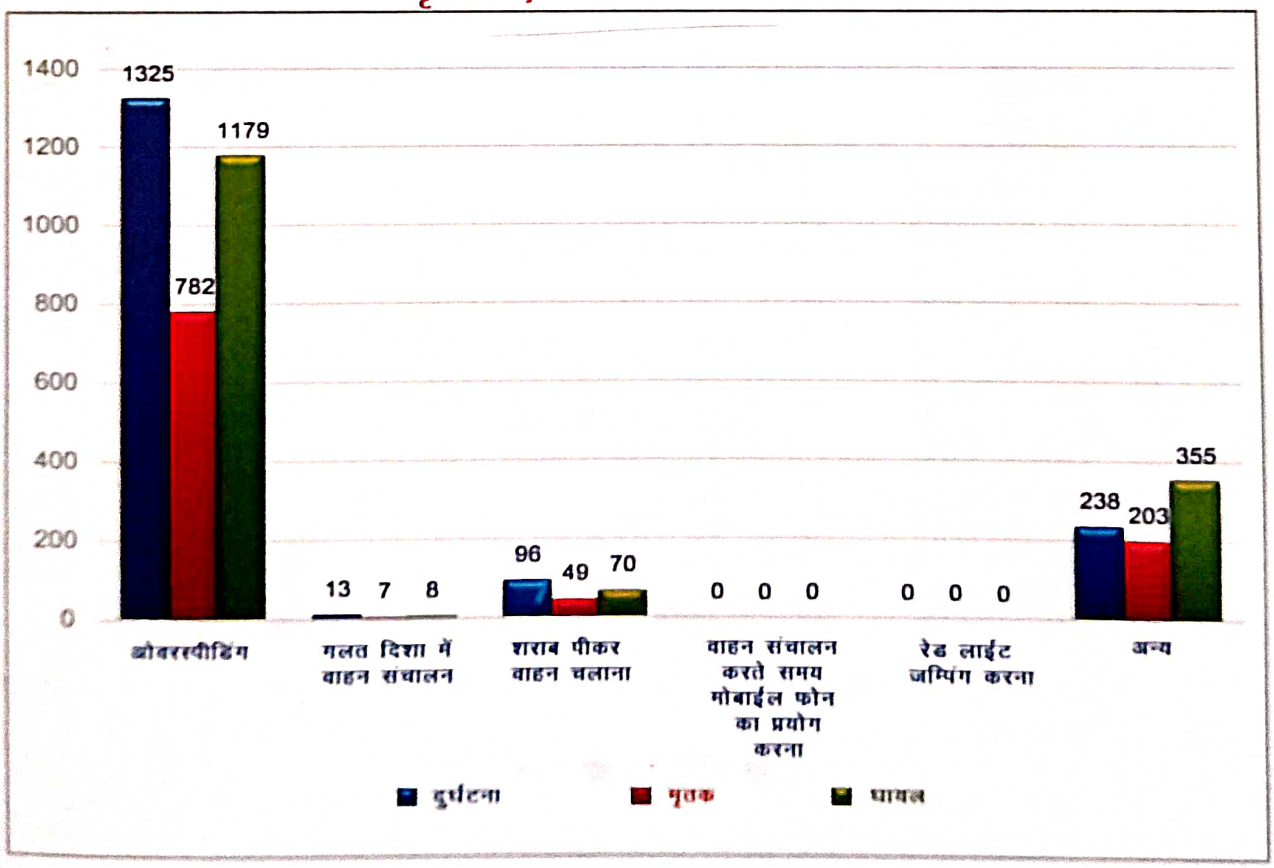

17. वर्ष 2022 में हुयी सड़क दुर्घटनाओं का विवरण चालक के लाईसेन्स के आधार घटित दुर्घटनाओं में मृतकों एवं घायलों का विवरणः–

राज्य में वर्ष 2022 में चालक लाईसेन्स के आधार पर घटित सड़क दुर्घटनाओं में वैध स्थायी लाईसेन्स प्रकार से सर्वाधिक व्यक्तियों की मृत्यु तथा घायल हुए हैं।

लाईसेन्स का प्रकार	2022	
	मृतक	घायल
वैध स्थायी लाईसेन्स	633	497
शिक्षार्थी लाईसेन्स	32	12
बिना लाईसेन्स	5	2
अज्ञात	181	240
योग–	**851**	**751**

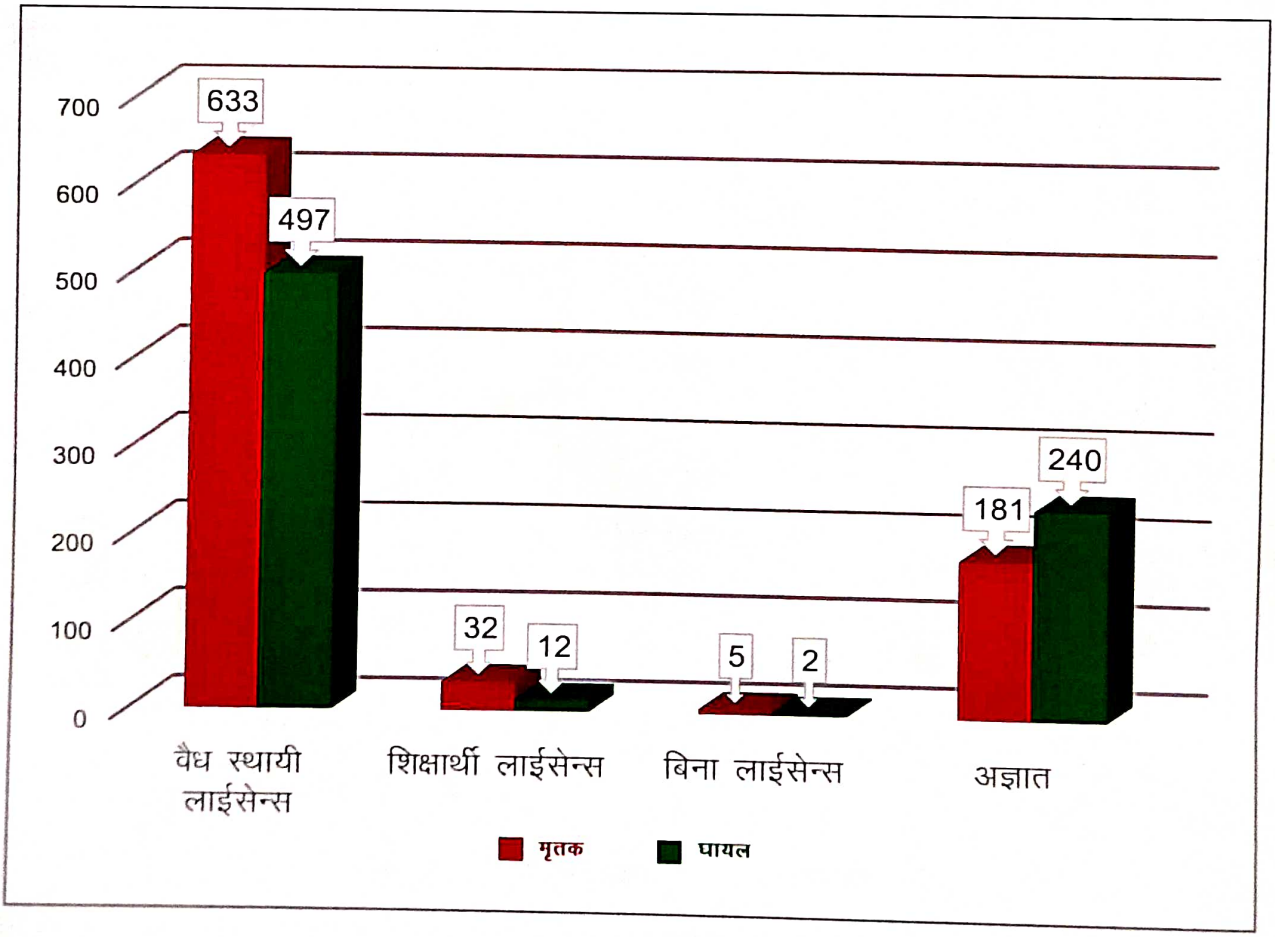

जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या

1. राज्य में वर्ष 2022 तक जनपदवार वाहनों की संख्या एवं जनसंख्या

जनपद का नाम	क्षेत्रफल वर्गकिमी0	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व	वाहनों की संख्या	वाहन घनत्व
अल्मोड़ा	3,144	622506	198	48439	15.41
बागेश्वर	2,241	259898	116	21053	9.39
चमोली	8,030	391605	49	23655	2.95
चम्पावत	1,766	259648	147	35326	20.00
देहरादून	3,088	1696694	549	1097790	355.50
हरिद्वार	2,360	1890422	801	599614	254.07
नैनीताल	4,251	954605	225	404453	95.14
पौड़ी	5,329	687271	129	98345	18.45
पिथौरागढ़	7,090	483439	68	58384	8.23
रूद्रप्रयाग	1,984	242285	122	20118	10.14
टिहरी	3,642	618931	170	29161	8.01
उधमसिंह नगर	2,542	1648902	649	687223	270.35
उत्तरकाशी	8,016	330086	41	16692	2.08
योग	**53,483**	**10086292**	**189**	**3140243**	**58.71**

www.censusindia2011.com/uttarakhand-population.html

2. उत्तराखण्ड राज्य में जनपदवार सड़को की लम्बाई (किमी) :–

क्र. सं.	जनपद का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग (किमी में)	राज्य राजमार्ग (किमी० में)	प्रमुख जिला मार्ग	अन्य जिला मार्ग	ग्रामीण मार्ग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	244.15	684.48	634.23	314.60	2071.72	3949.18
2	बागेश्वर	76.00	182.54	218.20	105.97	1022.26	1604.97
3	नैनीताल	128.45	662.07	336.98	148.27	2441.04	3716.81
4	पिथौरागढ	113.82	357.52	236.82	163.62	1830.38	2702.16
5	चम्पावत	125.00	347.89	36.00	28.29	1227.76	1764.94
6	उधमसिंह नगर	10.00	238.57	194.65	157.52	1775.76	2376.50
7	उत्तरकाशी	138.78	331.02	234.86	108.93	1494.21	2307.80
8	चमोली	114.00	393.91	208.64	255.02	1662.86	2634.43
9	रूद्रप्रयाग	122.02	264.10	75.20	88.76	1095.43	1645.51
10	टिहरी	266.00	775.61	421.80	362.47	3178.13	5004.01
11	देहरादून	330.89	528.77	203.34	325.14	2565.94	3954.08
12	पौड़ी	352.39	853.82	839.38	335.88	4068.72	6450.19
13	हरिद्वार	46.50	212.16	154.40	112.55	1421.03	1947.64
योग		**2068.00**	**5833.46**	**3794.50**	**2507.02**	**25855.24**	**40058.22**
14	हल्का वाहन मार्ग	-	-	-	-	-	399.08
15	अन्य कार्यदायी संस्था (NHAI/BRO/NHIDCL/PMGSY) के अन्तर्गत मार्ग	-	-	-	-	-	9405.00
महायोग		-	-	-	-	-	49862.30

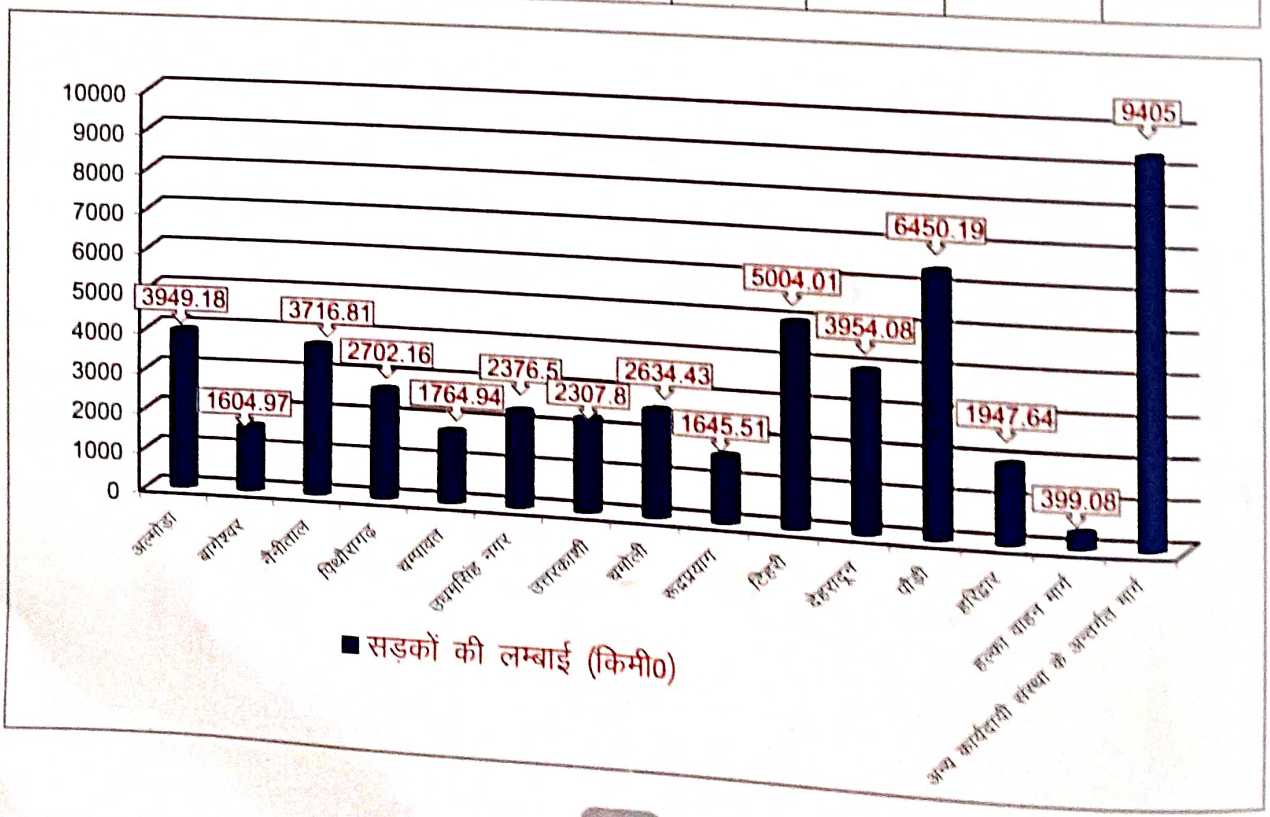

दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाये गये कदम

1. **राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठकः–**

कलैण्डर वर्ष 2022 में मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 24–05–2022 को आहूत की गयी।

2. **अनुश्रवण समिति का गठनः–**

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना के न्यूनीकरण हेतु अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दुर्घटनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक 12–05–2022 एवं दिनांक 28–10–2022 को बैठक आहूत की गई।

3. **लीड एजेन्सी का गठनः–**

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु शासनादेश संख्या–455/ix–1/2016/90/2016 दिनांक 26 सितम्बर, 2019 के अन्तर्गत संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में लीड एजेन्सी का गठन किया गया है। वर्तमान में लीड एजेन्सी में परिवहन, पुलिस, चिकित्सा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी तैनात किये गये हैं।

4. **जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठनः–**

कलैण्डर वर्ष 2022 में राज्य के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समितियों की 65 बैठकें आहूत की गयी।

5. **सड़क सुरक्षा कोष की स्थापनाः–**

उत्तराखण्ड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2017 के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19 जुलाई 2022 को कोष प्रबन्धन समिति की बैठक आहूत की गयी। उक्त निधि से कुल रूपये 05 करोड़ की धनराशि सड़क सुरक्षा कार्यों हेतु आवंटित की गयी।

6. **वाहनों मे स्पीड गर्वनर स्थापित करनाः–**

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अन्तर्गत ओवरस्पीडिंग पर नियन्त्रण रखने हेतु सभी प्रकार की व्यवसायिक वाहनों (दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया साईकिल, अग्निशामक, एम्बुलेन्स एवं पुलिस यान को छोड़कर) पर गति नियन्त्रक (Speed Limiting Device) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में व्यवसायिक वाहनों में स्पीड गर्वनर स्थापित करने हेतु 24 कम्पनियों को अधिकृत किया गया है। वाहनों के फिटनेस परिक्षण के समय वाहन पर गति नियंत्रक उपकरण लगाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। दिनांक 01–10–2015 से 108972 वाहनों पर गति नियंत्रक उपकरण संयोजित किये जा चुके है।

7. सार्वजनिक सेवायानों में वी0एल0टी0 डिवाइस स्थापित किया जानाः–

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 125एच के अन्तर्गत दिनांक 01–01–2019 से जीपीएस की स्थापना अनिवार्य की गयी है। राज्य में लगभग 31426 वाहनों में उक्त डिवाइस की स्थापना की जा चुकी है।

8. चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझराः–

वाहन चालकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 4 हैक्टअर भूमि पर देहरादून में झाझरा नामक स्थान पर एक **वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान** (आईडीटीआर) की स्थापना की गयी है। वर्तमान में संस्थान का संचालन परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड एवं मैसर्स मारूति सुजुकी इण्डिया लि0 की संयुक्त सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।

9. प्रवर्तन की कार्यवाही (पुलिस एवं परिवहन विभाग):–

(1) वर्ष 2022 में पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा किये गये चालान, बन्द एवं प्रशमन शुल्क की कार्यवाही का विवरण–

चालान	बन्द	प्रशमन शुल्क (लाख रूपये में)
792208	30459	6401.19

(2) वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित अभियोगों में की गयी प्रवर्तन की कार्यवाही का विवरण निम्नवत् हैः–

सड़क सुरक्षा के अभियोग	2022	
	चालान	संस्तुति
रेड लाईट जम्पिंग करना	2232	1032
निर्धारित गतिसीमा से अधिक गति से वाहन चलाना	37240	27448
भार वाहनों में क्षमता से अधिक भार ले जाना	6730	3038
भार वाहनों में यात्री ले जाना	3550	1772
वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग	9891	5064
नशे की हालत में वाहन चलाना	2589	711
कुल योग–	**62232**	**39065**

(3) वर्ष 2022 में बिना हैल्मेट/सीट बैल्ट के अभियोग में निम्नवत प्रवर्तन की कार्यवाही की गयीः–

अभियोग	2022	
	चालान	काउंसलिग
चालक/सवारी द्वारा हैल्मेट न पहनना	62512	15434
सीट बैल्ट का प्रयोग न करना	20047	16575
कुलयोग–	**82559**	**32009**

10. जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजनः–

सामान्य जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से समय–समय पर विभिन्न स्कूलों में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित कराये गये। इसके अतिरिक्त विभिन्न मोटर यूनियनों के अन्तर्गत चालकों हेतु स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रैली, कार्यशाला आदि का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में 350 जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये गये।

11. "उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" का गठनः–

(1) "उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम 2003" की धारा–8 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों से सम्बन्धित यात्रियों की दुर्घटना की स्थिति में मृतक आश्रित एवं घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु **"उत्तराखण्ड सडक परिवहन दुर्घटना राहत निधि"** का गठन किया गया है।

(2) किसी सार्वजनिक सेवायान की दुर्घटना होने पर प्रभावित व्यक्तियों को मृत्यु की दशा में ₹2,00,000, गंभीर रूप से घायल होने पर ₹40,000 एवं साधारण घायल होने पर ₹10,000 की आर्थिक सहायता उक्त निधि से उपलब्ध करायी जाती है।

(3) उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायान से होने वाली दुर्घटना में मृतक/घायलों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के जिलाधिकारियों को वर्ष 2022–23 में ₹5,41,91,029.00 की धनराशि आवंटित की गयी है।

12. प्रवर्तन दलों का सुदृढीकरण एवं सड़क सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्थाः–

(1) राज्य में यातायात दबाव एवं सड़क दुर्घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक स्तर पर गठित दलों हेतु 30 मोटरसाइकिलों का क्रय किया गया है। वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों को प्रवर्तन कार्यवाही हेतु ई–चालान मशीन उपलब्ध कराई गई है।

(2) पुलिस विभाग द्वारा राज्य में 10 जनपदों (पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर के अतिरिक्त) में 17 इन्टरसेप्टर वाहनों को राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर पैट्रोलिंग हेतु तैनात किया गया है।

(3) परिवहन विभाग द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित धनराशि से 08 इन्टरसेप्टर वाहनों को प्रवर्तन दलों को उपलब्ध कराया गया है। जिनका प्रयोग वर्तमान में जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल में प्रवर्तन कार्यों हेतु किया जा रहा है।

(4) परिवहन विभाग द्वारा ओवर स्पीडिंग के कारण घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिये तीव्र गति से वाहन संचालन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कठोर प्रवर्तन कार्यवाही करने के उद्देश्य से 31 स्पीडरडार गन का क्रय किया गया है। जिससे राज्य के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कठोर प्रवर्तन कार्यवाही की जा रही है।

13. सड़क सुरक्षा–एक पहल पुस्तिका का प्रकाशनः–

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विद्यालयों में कक्षा 3 से 12 तक के स्कूली छात्र–छात्राओं में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता एवं सुरक्षा नियमों का अनुपालन कराये जाने के उद्देश्य से ''सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तिका'' का प्रकाशन करते हुये विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी है।

14. ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापनाः–

परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ ही कर अपवंचना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं तीव्र गति से संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग द्वारा 10 स्थानों पर स्पीड रडार गन युक्त ए0एन0पी0आर0 (Automatic number-plate recognition) कैमरे लगाये गये है।

15. आई0रैड0 परियोजना का शुभारम्भः–

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों में घटित होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का एक ही डाटाबेस तैयार करने के दृष्टिगत Integrated Road Accident Data Base (iRAD) परियोजना को दिनांक 24.05.2022 से राज्य में लागू कर दिया गया है। जिसमें राज्य में घटित होने वाली सभी दुर्घटनाओं की सूचना पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा विभाग के कार्मिकों द्वारा अंकित किए जाने की व्यवस्था की गई है। पोर्टल पर डाटा अंकित किए जाने से जहां एक ओर दुर्घटनाओं का विश्लेषण और अधिक वैज्ञानिक रूप से किया जा सकेगा वहीं दूसरी ओर दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाने में भी मदद मिलेगी।

16. सड़क सुरक्षा जागरूकता फिल्मों का निर्माणः–

सामान्य जनमानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से 08 लघु फिल्मों का निर्माण कराया गया है, जिनका विभिन्न माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

17. ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरणः–

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा के अनुसार सड़क का 500 मीटर का वह भाग जहॉ विगत 03 वर्षों में 05 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई हों अथवा 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो, ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में आता है।

उक्त परिभाषा के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में (वर्ष 2013, 2014, 2015), (वर्ष 2014, 2015, 2016), (वर्ष 2015, 2016, 2017), (वर्ष 2016, 2017, 2018), (2017, 2018, 2019), (2018, 2019, 2020) एवं (2019, 2020, 2021) में घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर राज्य में कुल 165 ब्लैक स्पॉटस का चिन्हीकरण किया गया है और उनमें सुधार हेतु सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। ब्लैक स्पॉट के अतिरिक्त जनपदों में दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण करते हुए उनके सुधारीकरण हेतु भी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये हैं।

जनपदवार चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित स्थलों की स्थिति निम्नवत् हैः–

जनपद का नाम	ब्लैक स्पॉटस की संख्या	सुधार किये गये स्थलों की संख्या	दुर्घटना सम्भावित स्थलों की संख्या	सुधार किये गये स्थलों की संख्या
देहरादून	49	34	152	149
हरिद्वार	40	35	28	28
ऊधमसिंह नगर	39	29	141	141
चमोली	2	2	583	350
टिहरी गढ़वाल	7	7	146	125
पौड़ी गढ़वाल	2	2	218	170
अल्मोड़ा	2	2	267	226
नैनीताल	16	5	352	160
पिथौरागढ़	3	3	94	83
उत्तरकाशी	4	4	91	87
चम्पावत	1	1	347	143
रूद्रप्रयाग	0	0	52	9
बागेश्वर	0	0	74	22
योग	**165**	**124**	**2545**	**1693**

21. राज्य में पैदल यात्रियों हेतु चिन्हित एवं निर्मित पैदलपाथ/सर्विस लेन का विवरणः–

क्र0सं0	संस्था का नाम	पैदलपाथ/सर्विस लेन निर्मित किये जाने हेतु चिन्हित कि0मी0	पैदल यात्रियों हेतु निर्मित पैदलपाथ/सर्विस लेन की लम्बाई (कि0मी0)	पूर्ण प्रतिशत (%)	अवशेष
1	2	3	4	5	6
1	लो0नि0वि0	41.20	26.12	63.40	15.08
2	एन0एच0	47.08	31.40	25.28	15.68
3	एन.एच.ए.आई.	235.8	169.05	82.20	66.75
4	एन.एच.आई.डी.सी.एल.	70.06	44.66	63.75	25.40
5	बी.आर.ओ.	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**394.14**	**271.23**	**69.11**	**122.91**

22. राज्य में चिन्हित एवं लगाये गये साईनेज का विवरणः–

क्र. सं.	संस्था का नाम	मार्ग की कुल लम्बाई	साईनेज लगाये जाने हेतु चिन्हित किलोमीटरों की लम्बाई	साईनेज लगाये जा चुके किलोमीटरों की लम्बाई	पूर्ण प्रतिशत (%)	अवशेष
1	2	3	4	5	6	7
1	लो0नि0वि0	12184.00	7222.35	4183.13	57.92	3039.22
2	एन0एच0	2068.00	2003.59	1461.53	72.95	542.06
3	एन.एच.ए. आई.	415.00	386.18	286.19	74.11	99.99
4	एन.एच. आई.डी.सी. एल.	105.00	100.18	86.00	85.85	14.18
5	बी.आर.ओ.	986.00	405.30	215.49	53.17	189.81
	योग	**15758.00**	**10117.60**	**6232.34**	**61.60**	**3885.26**

23. राज्य में थर्ड पार्टी रोड़ सेफ्टी ऑडिट हेतु चिन्हित एवं ऑडिट किये गये मार्गों की लम्बाई का विवरणः–

क्र.सं.	संस्था का नाम	मार्गों की कुल लम्बाई (किमी0 में)	थर्ड पार्टी रोड़ सेफ्टी ऑडिट किये गये मार्गों की लम्बाई (किमी0)	पूर्ण प्रतिशत (%)	अवशेष
1	2	3	4	5	6
1	लो0नि0वि0	12184.00	3292.98	27.03	8891.02
2	एन0एच0	2068.00	796.00	38.49	1272
3	एन.एच.ए. आई.	415.00	369.00	88.92	46
4	एन.एच. आई.डी.सी. एल.	105.00	100.00	95.24	5
5	वी.आर.ओ.	986.00	383.00	38.84	603
	योग	**15758.00**	**4940.98**	**31.36**	**10817.02**

24. उत्तराखण्ड राज्य में संचालित एम्बुलेन्स वाहनों का विवरणः–

विभागीय एम्बुलेन्सों की संख्या	108 के अन्तर्गत संचालित एम्बुलेन्सों की संख्या	108 के अन्तर्गत संचालित बोट एम्बुलेन्स
258	272	01

25. राज्य में वर्ष 2022 तक स्थापित किये गये ट्रॉमा सेन्टर का जनपदवार विवरणः–

जनपद	ट्रॉमा सेन्टरों की संख्या	ट्रॉमा सेन्टर का नाम
देहरादून	06	दून चिकित्सालय, देहरादून
		एस0पी0एस0 चिकित्सालय ऋषिकेश
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विकासनगर
		जौलीग्रान्ट हास्पिटल, देहरादून
		एम्स ऋषिकेश
		महन्त इन्द्रेश हॉस्पिटल।
चमोली	02	जिला चिकित्सालय गोपेश्वर
		उपजिला चिकित्सालय, कर्णप्रयाग
उत्तरकाशी	01	जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी
हरिद्वार	01	संयुक्त चिकित्सालय रूड़की
उधमसिंह नगर	01	एल0डी0 भट्ट संयुक्त चिकित्सालय, काशीपुर
अल्मोड़ा	02	गोविन्द सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
		उपजिला चिकित्सालय, रानीखेत
बागेश्वर	01	जिला चिकित्सालय बागेश्वर
चम्पावत	02	उपजिला चिकित्सालय, टनकपुर
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहाघाट
पौड़ी	02	बेस चिकित्सालय कोटद्वार
		बेस चिकित्सालय, श्रीनगर
टिहरी	01	काण्डीसौड
पिथौरागढ़	01	बी0डी0 पाण्डे चिकित्सालय, पिथौरागढ़
रूद्रप्रयाग	01	जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग
योग	**21**	—

भविष्य की योजनाएं

1. **हल्द्वानी में वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माणः–**

विगत् वर्षों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में चालकों की अदक्षता, लापरवाही एवं तीव्र गति से वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः वाहन चालकों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु देहरादून की भॉति कुमाऊँ मण्डल के हल्द्वानी नगर में भी एक वृहद चालक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

2. **चालकों की परीक्षा हेतु ऑटोमेटेड ड्राईविंग ट्रैक्स की स्थापनाः–**

वाहन चालकों में दक्षता विकास एवं चालक लाईसेन्स जारी करने से पूर्व उनकी परीक्षा कम्प्यूटराईज्ड रूप में लिये जाने के उद्देश्य से राज्य के सभी संभागीय/उपसंभागीय कार्यालयों में आटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस हेतु हरिद्वार एवं देहरादून में ट्रैक का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि 05 स्थानों (कोटद्वार, ऋषिकेश, काशीपुर, अल्मोडा, उत्तरकाशी) में निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी, पिथौरागढ, पौडी, टिहरी में भी भूमि उपलब्ध हो गयी है, जहॉ शीघ्र ही निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

3. **वाहनों की फिटनेस हेतु आटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापनाः–**

वाहनों की तकनीकी खराबी के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत राज्य में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। उक्त के दृष्टिगत कोटद्वार एवं ऋषिकेश में भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का निर्माण गतिमान हैं

इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी देहरादून एवं रूद्रपुर में स्टेशन का संचालन प्रारम्भ हो गया है जबकि हरिद्वार, रूड़की, विकासनगर, टनकपुर एवं हल्द्वानी में भी निजी क्षेत्र में स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

4. **प्रवर्तन दलों का सुदृढीकरण एवं सड़क सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्थाः–**

(क) राज्य में प्रवर्तन व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु प्रवर्तन दलों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे है। इस क्रम में इस वर्ष प्रवर्तन दलों को बॉडीवार्न कैमरे उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

(ख) वर्ष 2023–24 में पूर्व 04 स्थानों का उच्चीकरण एवं 06 नये साईट पर ए0एन0पी0आर0 कैमरे की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) राज्य में पुलिस विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही के उपरान्त चालानों के भुगतान हेतु जनपद देहरादून में वर्चुअल न्यायालय की स्थापना की गई है तथा शेष जनपदो में वर्चुअल न्यायालय की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

(घ) पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित धनराशि से सड़क सुरक्षा हेतु निम्न उपकरण क्रय करने की प्रक्रिया गतिमान है:–

क्र0 संख्या	उपकरण/कार्य का नाम	संख्या
1	ANPR & RLVD System	05
2	Interceptor	06
3	Speed Radar/ Laser Gun	10
4	Drone Service in 04 District	04

(ड़) परिवहन विभाग द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा कोष से आवंटित धनराशि से 05 वाहनों का क्रय किया गया है, जिन पर इन्टरसेप्टर फैब्रीकेशन की कार्यवाही गतिमान है।

(च) परिवहन विभाग द्वारा ओवर स्पीडिंग के कारण घटित हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिये तीव्र गति से वाहन संचालन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कठोर प्रवर्तन कार्यवाही करने के उद्देश्य से प्रवर्तन दलों हेतु 28 स्पीडरडार गन का क्रय किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

5. चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की स्थापना:–

बच्चों को यातायात/सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की स्थापना की जा रही है। उक्त पार्कों में बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किये जाने की दृष्टि से चौराहा, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक लाईट, लेन मार्किंग, रोड साईनेज, साईकिल लेन, राउण्ड अबाऊट/सर्किट ट्रैक, जिग–जेग रोड, फुटओवर ब्रिज, मिनी थियेटर, रेलवे क्रासिंग सिमुलेटर, हिल टैरेन ट्रैक, डिस्प्ले यूनिट, वॉल पेन्टिंग, गुड समेरिटन वॉल, सड़क सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन, मिनीएचर मॉडल्स आदि की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की स्थापना हेतु ₹1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

6. सड़क सुरक्षा–एक पहल पुस्तिका का प्रकाशन:–

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्र–छात्राओं में सड़क सुरक्षा सम्बन्धी जागरूकता एवं सुरक्षा नियमों का अनुपालन कराये जाने के उद्देश्य से "सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तिका" का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है।

7. क्रैश बैरियर की स्थापना:–

राज्य में चिन्हीत मार्गों पर आगामी 02 वर्ष में शत–प्रशित क्रैश बैरियर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में ₹ 300.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

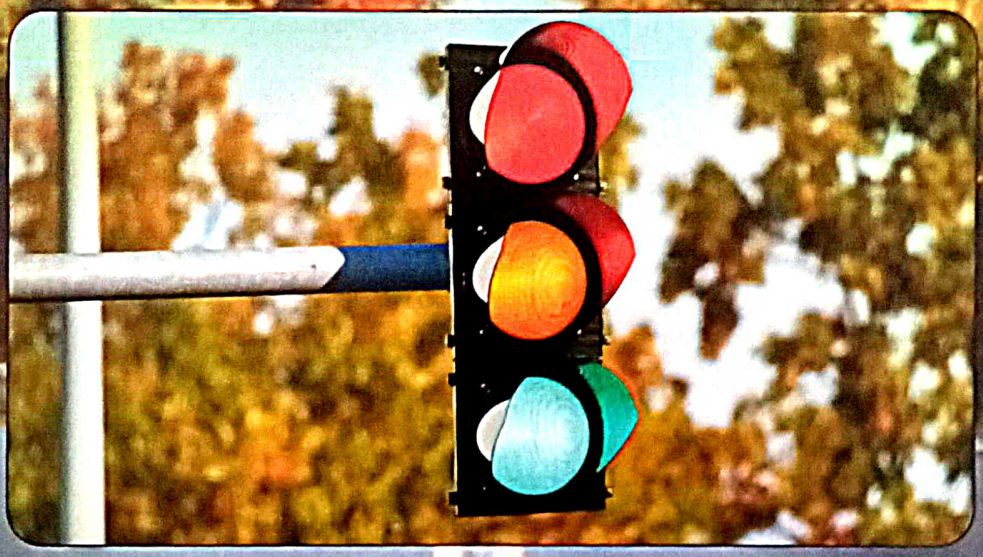

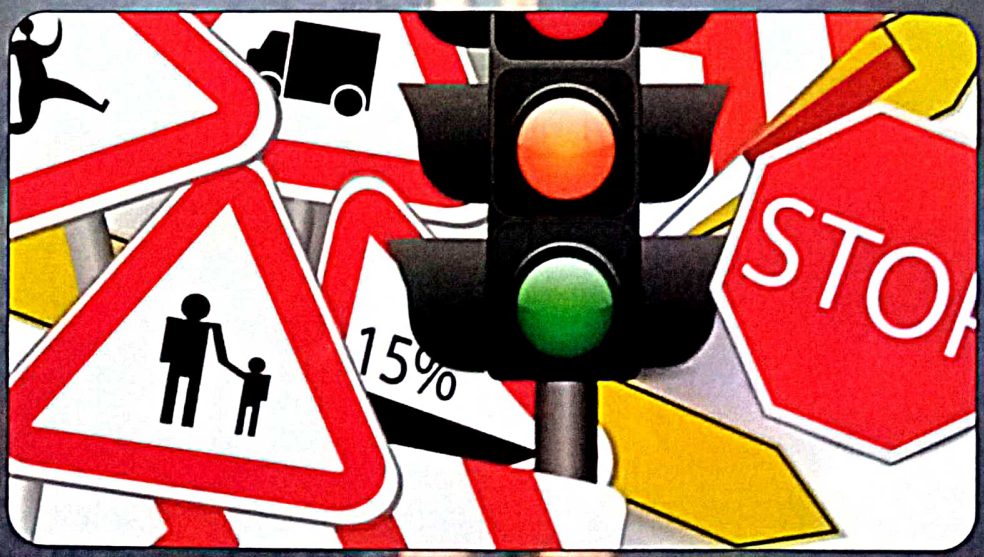
15%
STOP

STOP

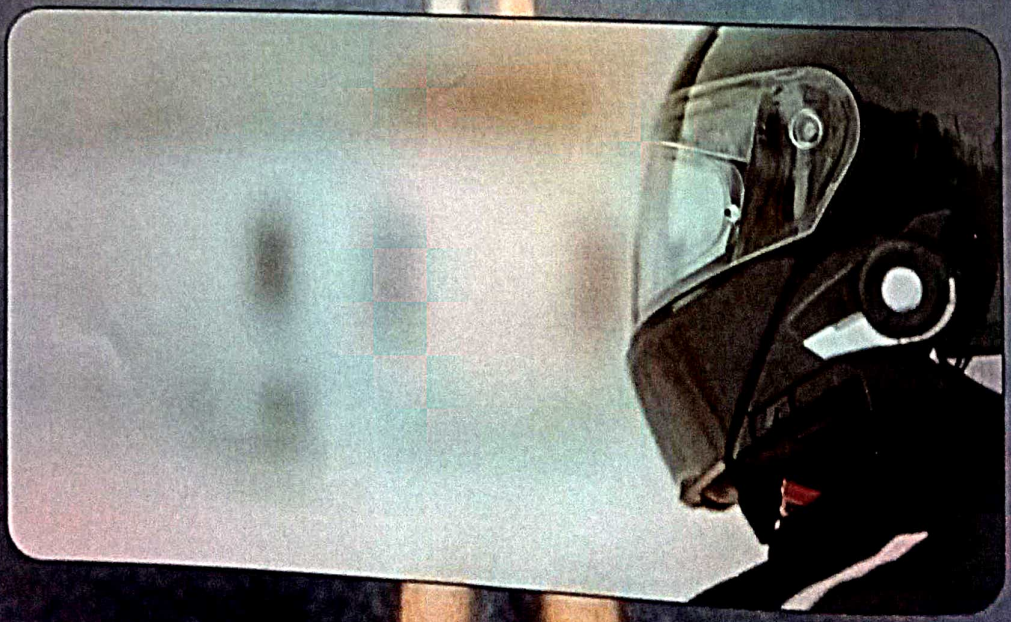

उत्तराखण्ड शासन

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड

कार्यालय परिवहन आयुक्त, कुल्हान सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

Website : transport.uk.gov.in